राज्य विद्‌युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट

2019-20

एक नवरत्न कंपनी

कार्यकारी विवरण

रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए 115 विद्युत संस्थाओं को शामिल किया गया है। रिपोर्ट को विद्युत संस्थाओं के अंकेक्षित/अनंतिम वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किया गया है। 115 विद्युत संस्थाओं में से 96 ने अंकेक्षित लेखे प्रदान किए हैं और 8 ने अनंतिम लेखे प्रदान किए हैं। शेष 10 विद्युत संस्थाओं के लिए, जो विद्युत विभाग हैं और वार्षिक लेखे तैयार नहीं करते हैं, वहां विद्युत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सूचना/ टैरिफ याचिकाओं में उपलब्ध सूचना का उपयोग किया गया है।

यह रिपोर्ट परिचालन के खंड - वितरण, उत्पादन, पारेषण और ट्रेडिंग के आधार पर राज्य विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करती है। विश्लेषण के उद्देश्य से, जेडको, एकीकृत विद्युत संस्थाओं और विद्युत विभागों को वितरण संस्थाओं के साथ समूहबद्ध किया गया है। मुख्य पैरामीटरों के राज्य-वार समुच्चय को भी शामिल किया गया है।

वितरण संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

- वितरण संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018-19 में 10,01,396 एमयू और वर्ष 2019-20 में 10,20,988 एमयू की सकल ऊर्जा बेची गई जिसमें 1.96% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। टैरिफ सब्सिडी सहित विद्युत की बिक्री से वर्ष 2018-19 में 6,06,333 करोड़ रुपए से वर्ष 2019-20 में 6,33,611 करोड़ रुपए की समान अवधि के दौरान राजस्व में 4.50% की वृद्धि दर्ज की गई जो बेहतर राजस्व को दर्शाता है।

- वितरण संस्थाओं के लिए कुल हानि वर्ष 2018-19 में 49,103 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में 31,672 करोड़ रुपए हो गई। उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय को छोड़कर हानि वर्ष 2018-19 में 86,700 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में 74,443 करोड़ रुपए हो गई।

- वितरण संस्थाओं द्वारा बिल की गई टैरिफ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में 1,10,989 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1,19,921 करोड़ रुपए हो गई। कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में, विद्युत संस्थाओं द्वारा बिल की गई टैरिफ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में 15.99% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 16.45% हो गई।

- वितरण संस्थाओं द्वारा बिल की गई टैरिफ सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा निर्मोचित टैरिफ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में 89.21% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 94.65% हो गई।

- बिल की गई सब्सिडी आधार पर राजस्व अंतर वर्ष 2018-19 में 0.39/केडबल्यूएच से घटकर वर्ष 2019-20 में 0.25/केडबल्यूएच हो गया। उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान एवं विनियामक आय को छोड़कर राजस्व अंतर (प्राप्त सब्सिडी) वर्ष 2018-19 में 0.70/केडबल्यूएच से घटकर वर्ष 2019-20 में 0.60/केडबल्यूएच हो गया।

- विद्युत की बिक्री हेतु प्राप्तियां (दिवस की संख्या) मार्च 31, 2019 तक 127 दिन से बढ़कर मार्च 31, 2020 तक 148 दिन हो गईं।

- मार्च 31, 2020 तक भी निवल आय 36,792 करोड़ रुपए पर ऋणात्मक ही रही।

- वितरण संस्थाओं द्वारा कुल ऋण राशियां मार्च 31, 2019 तक 5,00,022 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 31, 2020 तक 5,14,237 करोड़ रुपए हो गईं।

- वितरण संस्थाओं के लिए समग्र एटी एवं सी हानि वर्ष 2018-19 में 21.74% से सुधरकर वर्ष 2019-20 में 20.93% हो गई।

उत्पादन संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

- उत्पादन संस्थाओं को वर्ष 2018-19 में 2,749 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3,853 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

- उत्पादन संस्थाओं के लिए निवल आय मार्च 31, 2019 तक 1,04,301 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 31, 2020 तक 1,10,276 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें 5,975 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई।

पारेषण संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

`

- पारेषण संस्थाओं को वर्ष 2018-19 में 1,533 करोड़ रुपए की हानि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2,134 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

- पारेषण संस्थाओं के लिए निवल आय मार्च 31, 2019 तक 82,026 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 31, 2020 तक 87,828 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें 5,802 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई।

ट्रेडिंग संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

- ट्रेडिंग संस्थाओं के लिए हानि वर्ष 2018-19 में 8,502 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में 3,660 करोड़ रुपए हो गई।

- ट्रेडिंग संस्थाओं के लिए निवल आय मार्च 31, 2019 तक 39,405 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 31, 2020 तक 44,160 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें 4,755 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई।

वितरण संस्थाओं के लिए विवरण

सारणी 1		2019-20	2018-19	2017-18
कर पश्चात लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(31,672)	(49,103)	(27,966)
प्राप्त सब्सिडी सहित लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(38,093)	(61,079)	(32,324)
उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय को छोड़कर प्राप्त सब्सिडी सहित लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(74,443)	(86,700)	(58,474)
बिल की गई टैरिफ सब्सिडी	करोड़ रु.	1,19,921	1,10,989	92,547
प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	करोड़ रु.	1,13,500	99,013	88,189
कुल राजस्व के % के रूप में लेखाबद्ध टैरिफ सब्सिडी	%	16.45	15.99	15.23
लेखाबद्ध सब्सिडी के % के रूप में प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	%	94.65	89.21	95.29
आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	रु./केडबल्यूएच	6.15	6.00	5.50
औसत राजस्व (लेखाबद्ध सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	5.90	5.61	5.26
अंतर (लेखाबद्ध सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	0.25	0.39	0.24
औसत राजस्व (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	5.85	5.51	5.22
अंतर (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	0.30	0.49	0.28
उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय के बिना औसत राजस्व (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	5.55	5.31	4.99
उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय के बिना अंतर (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	0.60	0.70	0.50
अपने उत्पादन सहित खरीदी गई ऊर्जा	एमयू	12,35,916	12,37,266	11,55,361
ईंधन लागत सहित विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.	5,83,983	5,74,543	4,85,882
कुल लागत के % के रूप में विद्युत क्रय लागत	%	76.80	77.35	76.47
बिलिंग दक्षता	%	85.36	83.91	83.07
कलेक्शन दक्षता	%	92.64	93.26	94.50
तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि	%	20.93	21.74	21.50

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

सारणी 2		2019-20	2018-19	2017-18
विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्तियां	करोड़ रु.	2,16,272	1,79,392	1,55,528
विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्तियां	दिन	148	127	125
विद्युत और ईंधन की खरीद के लिए भुगतान	करोड़ रु.	2,59,071	2,28,512	1,73,801

विद्युत और ईंधन की खरीद के लिए भुगतान	दिन	165	148	133
निवल आय	करोड़ रु.	(36,792)	(62,248)	(71,772)
संचित हानि (तुलन-पत्र के अनुसार)	करोड़ रु.	(5,07,416)	(4,78,153)	(4,31,059)
कुल बकाया ऋण	करोड़ रु.	5,14,237	5,00,022	4,64,422
राज्य सरकार ऋण	करोड़ रु.	74,494	98,786	1,30,098
कुल ऋण के % के रूप में राज्य सरकार ऋण	%	14.49	19.76	28.01

वितरण संस्थाओं के लिए विवरण - राज्य क्षेत्र

सारणी 3		2019-20	2018-19	2017-18
कर पश्चात लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(34,351)	(51,366)	(30,014)
प्राप्त सब्सिडी सहित लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(40,715)	(63,329)	(34,387)
उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय को छोड़कर प्राप्त सब्सिडी सहित लाभ/(हानि)	करोड़ रु.	(74,914)	(88,057)	(59,997)
बिल की गई टैरिफ सब्सिडी	करोड़ रु.	1,17,485	1,09,290	90,917
प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	करोड़ रु.	1,11,120	97,327	86,544
कुल राजस्व के % के रूप में लेखाबद्ध टैरिफ सब्सिडी	%	17.36	16.99	16.01
लेखाबद्ध सब्सिडी के % के रूप में प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	%	94.58	89.05	95.19
आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	रु./केडबल्यूएच	6.11	5.97	5.46
औसत राजस्व (लेखाबद्ध सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	5.81	5.53	5.18
अंतर (लेखाबद्ध सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	0.30	0.44	0.28
औसत राजस्व (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	5.75	5.42	5.14
अंतर (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	0.35	0.54	0.32
उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय के बिना औसत राजस्व (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	5.46	5.21	4.90
उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान और विनियामक आय के बिना अंतर (प्राप्त सब्सिडी)	रु./केडबल्यूएच	0.65	0.76	0.55
अपने उत्पादन सहित खरीदी गई ऊर्जा	एमयू	11,65,180	11,64,312	10,96,486
ईंधन लागत सहित विद्युत क्रय लागत	करोड़ रु.	5,48,944	5,39,692	4,58,998
कुल लागत के % के रूप में विद्युत क्रय लागत	%	77.15	77.69	76.73

सारणी 3		2019-20	2018-19	2017-18
बिलिंग दक्षता	%	84.89	83.41	82.64
कलेक्शन दक्षता	%	92.21	92.83	94.21
तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि	%	21.73	22.57	22.15

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

सारणी 4		2019-20	2018-19	2017-18
विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्तियां	करोड़ रु.	2,12,894	1,76,285	1,52,977
विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्तियां	दिन	160	138	134
विद्युत और ईंधन की खरीद के लिए भुगतान	करोड़ रु.	2,38,496	2,08,595	1,55,105
विद्युत और ईंधन की खरीद के लिए भुगतान	दिन	162	144	126
निवल आय	करोड़ रु.	(61,757)	(84,828)	(88,609)
संचित हानि (तुलन-पत्र के अनुसार)	करोड़ रु.	(5,22,869)	(4,92,360)	(4,44,106)
कुल बकाया ऋण	करोड़ रु.	4,87,000	4,75,240	4,49,476
राज्य सरकार ऋण	करोड़ रु.	74,473	98,762	1,30,069
कुल ऋण के % के रूप में राज्य सरकार ऋण	%	15.29	20.78	28.94

सारणी 2 एवं सारणी 4 में वे राज्य शामिल नहीं हैं जहां वितरण संस्थाएं विद्युत विभाग हैं। विस्तृत विवरण हेतु अध्याय 2: कार्य-प्रणाली देखें।

भारत में विद्युत क्षेत्र - पृष्ठभूमि

मानव जाति के भविष्य के लिए ऊर्जा बेहद महत्वपूर्ण है। किसी देश के कल्याण और समृद्धि के लिए ऊर्जा वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास के अतिरिक्त, मानव विकास संबंधी पहलू जैसे गरीबी में कमी, रोजगार सृजन आदि भी काफी हद तक सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हैं।

भारत में विद्युत क्षेत्र की संरचना

भारत में बिजली क्षेत्र संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। बिजली अधिनियम, 2003 वर्तमान में भारतीय बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून है।

विद्युत मंत्रालय

भारत में विद्युत क्षेत्र मुख्य रूप से विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रालय मुख्य रूप से देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा आयोजना, नीति निर्माण, निवेश निर्णय के लिए परियोजनाओं के प्रसंस्करण, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास तथा ताप विद्युत एवं जल विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के संबंध में प्रशासन और कानून बनाए जाते हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय का व्यापक उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विकास और तैनाती करना है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

विद्युत मंत्रालय को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सभी तकनीकी और आर्थिक मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। सीईए तकनीकी समन्वय और कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के लिए एक सांविधिक निकाय है। सीईए विद्युत क्षेत्र में नीतियां बनाने, तकनीकी मानकों और विनियमों को तैयार करने, परियोजना की निगरानी करने और देश के विद्युत क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए विद्युत मंत्रालय का समर्थन करता है।

केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग

केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग (सीईआरसी) एक सांविधिक निकाय है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है

- केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना
- केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनियों से अन्य उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां शामिल हैं या अन्यथा एक से अधिक राज्यों में बिजली उत्पादन और बिक्री के लिए समग्र योजना में है।
- पारेषण संस्थाओं के टैरिफ सहित बिजली के अंतर-राज्य पारेषण के लिए टैरिफ का विनियमन करना
- अंतर-राज्य पारेषण और उनके अंतर-राज्य पारेषण के संबंध में ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस प्रदान करना

राज्य बिजली विनियामक आयोग

राज्य स्तर पर टैरिफ के निर्धारण और लाइसेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एसईआरसी सांविधिक निकाय हैं। एसईआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हैं

- राज्य के भीतर बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हिलिंग, थोक बिक्री, थोक या खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ का निर्धारण करना;
- इंट्रा-स्टेट पारेषण, वितरण और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस जारी करना;
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना आदि।

पावर एक्सचेंज

भारत में दो पावर एक्सचेंज हैं अर्थात इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) जो बिजली के भौतिक वितरण के लिए एक स्वचालित ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करते हैं। वे विभिन्न उत्पादों के खंडों से जुड़े हैं जैसे डे-अहेड संविदा, टर्म-अहेड संविदा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (आरईसी), ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ईएससीएआरटी) आदि।

बिजली संबंधी अपीलीय अधिकरण

अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपटेल) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन विनियामक आयोगों के आदेशों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से किया गया है।

मुख्य वित्तीय संस्थान

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विद्युत क्षेत्र के दो कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान हैं। वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे यूएमपीपी, आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई और उदय आदि के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में भी कार्य करते हैं।

विद्युत क्षेत्र के तीन प्रमुख स्तंभ हैं अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण।

उत्पादन

31 मार्च, 2021 तक उत्पादन को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों अर्थात राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र में क्रमशः 27%, 48% और 25% में विभाजित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख विद्युत उत्पादन कंपनियों में एनटीपीसी, एनएचपीसी, नीपको, एसजेवीएन, टीएचडीसी आदि हैं।

सारणी 5: संस्थापित क्षमता (मेगावाट)

31 मार्च 2021 तक					
	ताप विद्युत	**नाभिकीय**	**जल विद्युत**	**नवीकरणीय**	**कुल**
राज्य	74,405	-	27,070	2,395	1,03,870
निजी	86,875	-	3,493	90,406	1,80,775
केंद्रीय	73,448	6,780	15,647	1,632	97,507
अखिल भारत	2,34,728	6,780	46,209	94,434	3,82,151

स्त्रोत : सीईए

सारणी 6: बिजली उत्पादन (बीयू)

	2020-21	2019-20
ताप विद्युत	1,032.51	1072.22
नाभिकीय	43.03	37.81
जल विद्युत	150.30	134.89
भूटान आयात	8.77	4.41
अखिल भारत	1,234.61	1249.34

स्त्रोत : सीईए

उत्पादन का 84% ताप विद्युत उत्पादन से ही हो रहा है।

पारेषण

भारत में बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से बिखरे हुए हैं और कुछ पॉकेटों में केंद्रित हैं। पारेषण जो विद्युत वितरण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तत्व है, वह जनरेटिंग स्टेशनों से बिजली की निकासी और लोड केंद्रों को इसकी डिलिवरी की सुविधा प्रदान करता है। घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत के कुशल फैलाव के लिए अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली को बढ़ाने, नेशनल ग्रिड के संवर्द्धन और पारेषण प्रणाली नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है। विभिन्न बिजली उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी करने और उपभोक्ताओं को उसे वितरित करने के लिए पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क कई वर्षों से विकसित किया गया है।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) देश की केंद्रीय पारेषण संस्था (सीटीयू) है, जो केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली प्रदान करता है।

नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) राष्ट्रीय ग्रिड के संचालन में अधिकतम अर्थव्यवस्था और दक्षता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों के साथ समन्वय करके क्षेत्रों के भीतर और पूरे देश में बिजली विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पोसोको) नई दिल्ली में स्थित है और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) के रूप में काम कर रहा है तथा पांच क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) कोलकाता, शिलांग, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में स्थित हैं।

राज्यों के भीतर पारेषण के लिए, अधिकांश राज्यों में अलग-अलग राज्य पारेषण संस्थाएं (एसटीयू) हैं, जिनका गठन भार कम करने के लिए किया गया था।

वितरण

संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वितरण सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्युत संस्थाओं और उपभोक्ताओं के बीच एकमात्र इंटरफेस के रूप में यह पूरे क्षेत्र के लिए धन अर्जक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत, विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को बिजली के वितरण और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों की होती है।

आंकड़े 1: बिजली की अखिल भारतीय वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत (केडबल्यूएच)

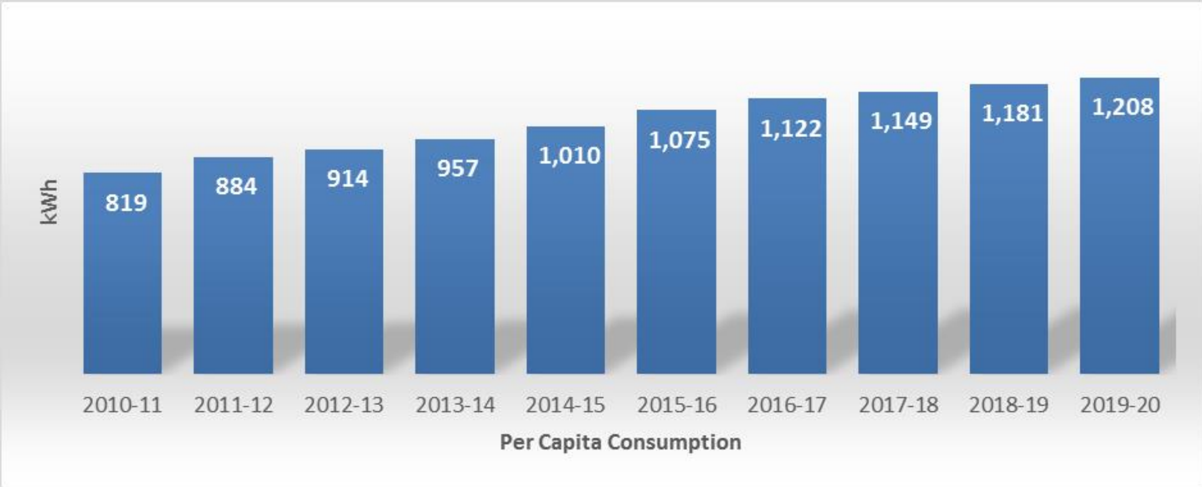

स्त्रोत : सीईए

रिपोर्ट में शामिल राज्य विद्युत क्षेत्र की संरचना परिशिष्ट 4 में उल्लिखित है।

विनियामक विकास

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16 अगस्त, 2021 तक एसईआरसी/ विद्युत संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार टैरिफ फाइलिंग और वितरण संस्थाओं हेतु टैरिफ आदेश जारी करने की राज्य-वार और विद्युत संस्था-वार स्थिति नीचे दी गई है

सारणी 8: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ याचिका की फाइलिंग और टैरिफ आदेश जारी करने की स्थिति

राज्य	विद्युत संस्था	टैरिफ याचिका तारीख	टैरिफ आदेश तारीख
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान एवं निकोबार पीडी	23-मार्च-21	31-मई-21
आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	29-नवंबर-20	25-मार्च-21
	एपीएसपीडीसीएल		
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	29-नवंबर-19 को वि.व. 2020-21 से 2022-23 तक के लिए एमवाईटी फाइल की गई	अभी तक जारी नहीं
असम	एपीडीसीएल	28-नवंबर-20	15-फरवरी-21
बिहार	एनबीपीडीसीएल	30-दिसंबर-20	26-मार्च-21
	एसबीपीडीसीएल		
चंडीगढ़	चंडीगढ़ पीडी	20-जनवरी-21	30-मार्च-21
छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	4-जनवरी-21	02-अगस्त-21
दादरा एवं नागर हवेली	डीएनएचपीडीसीएल	08-दिसंबर-20	23-मार्च-21

राज्य	विद्युत संस्था	टैरिफ याचिका तारीख	टैरिफ आदेश तारीख
दमन एवं दीव	दमन एवं दीव पीडी	18-दिसंबर-20	23-मार्च-21
दिल्ली	बीआरपीएल	09-दिसंबर-20	अभी तक जारी नहीं
	बीवाईपीएल	09-दिसंबर-20	अभी तक जारी नहीं
	टीपीडीडीएल	21-दिसंबर-20	अभी तक जारी नहीं
गोवा	गोवा पीडी	30-नवंबर-20	30-मार्च-21
गुजरात	डीजीवीसीएल	08-जनवरी-21	31-मार्च-21
	एमजीवीसीएल		
	पीजीवीसीएल		
	यूजीवीसीएल		
	टोरेंट पवार अहमदाबाद		
	टोरेंट पवार सूरत		
हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	27-नवंबर-20	30-मार्च-21
	यूएचबीवीएनएल		
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	28-नवंबर-20	31-मई-21
जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीडी	फाइल नहीं किया गया	अभी तक जारी नहीं
झारखंड	जेबीवीएनएल	30-नवंबर-20	अभी तक जारी नहीं
कर्नाटक	बेसकोम	30-नवंबर-20	9-जून-21
	चेसकोम	30-नवंबर-20	
	जेसकोम		
	हेसकोम		
	मेसकोम		
केरल	केएसईबीएल	27-मार्च-20	19-मार्च-21
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप पीडी	16-फरवरी-21	31-मार्च-21
मध्य प्रदेश	एमपीएमएकेवीवीसीएल	15-जनवरी-21	30-जून-21
	एमपीपीएकेवीवीसीएल		
	एमपीपीओकेवीवीसीएल		
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	27-नवंबर-19 को वि.व. 2020-21 से 2024-25 तक के लिए एमवाईटी फाइल की गई	30-मार्च-2020
	एईएमएल	7-जनवरी-20 को वि.व. 2020-21 से 2024-25 तक के लिए एमवाईटी फाइल की गई	30-मार्च-2020
मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	2-फरवरी-21	26-अप्रैल-21
मेघालय	एमईपीडीसीएल	4-दिसंबर-20	25-मार्च-21
मिज़ोरम	मिज़ोरम पीडी	22-जनवरी-21	26-मार्च-21
नागालैंड	नागालैंड पीडी	29-नवंबर-18 को	20-मार्च-20

राज्य	विद्युत संस्था	टैरिफ याचिका तारीख	टैरिफ आदेश तारीख
		वि.व. 2020-21 से 2024-25 तक के लिए एमवाईटी फाइल की गई	
ओडिशा	टीपीसीओडीएल	19-दिसंबर-20	26-मार्च-21
	टीपीएनओडीएल		
	टीपीडबल्यूओडीएल		
	टीपीएसओडीएल		
पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	18-दिसंबर-20	7-अप्रैल-21
पंजाब	पीएसपीसीएल	30-नवंबर-20	28-मई-21
राजस्थान	एवीवीएनएल	24-नवंबर-20 को वि.व. 2020-21 से 2023-24 तक के लिए एमवाईटी फाइल की गई	अभी तक जारी नहीं
	जेवीवीएनएल		
	जेडीवीवीएनएल		
सिक्किम	सिक्किम पीडी	25-नवंबर-20	26-फरवरी-21
तमिलनाडु	टेन जेडको	फाइल नहीं किया गया	अभी तक जारी नहीं
तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	31-मार्च-21	अभी तक जारी नहीं
	टीएसएसपीडीसीएल		
त्रिपुरा	टीएसईसीएल	फाइल नहीं किया गया	अभी तक जारी नहीं
उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	22-फरवरी-21	29-जुलाई-21
	केसको		
	एमवीवीएनएल		
	पीएवीवीएनएल		
	पीयूवीएनएनएल		
	एनपीसीएल	29-जनवरी-21	अभी तक जारी नहीं
उत्तराखंड	यूपीसीएल	14-जनवरी-21	26-अप्रैल-21
पश्चिम बंगाल	डबल्यूबीएसईडीसीएल	फाइल नहीं किया गया	अभी तक जारी नहीं
	सीईएससी	फाइल नहीं किया गया	अभी तक जारी नहीं
	आईपीसीएल	फाइल नहीं किया गया	अभी तक जारी नहीं

स्त्रोत: एसईआरसी/विद्युत संस्थाओं की वेबसाइट

कार्यप्रणाली

रिपोर्ट में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सभी राज्य विद्युत संस्थाओं और दिल्ली (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल), गुजरात (टोरेंट पावर अहमदाबाद और टोरेंट पावर सूरत), महाराष्ट्र (एईएमएल), उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल) और पश्चिम बंगाल (सीईएससी और आईपीसीएल) में सभी प्रमुख निजी वितरण कंपनियों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में एकीकृत प्रचालन अर्थात सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनन, कैप्टिव उद्देश्य आदि के एक भाग के रूप में विद्युत संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए, रिपोर्ट में 66 विद्युत वितरण संस्थाओं, 23 विद्युत उत्पादन संस्थाओं, 22 विद्युत पारेषण संस्थाओं और 4 विद्युत ट्रेडिंग संस्थाओं सहित 115 विद्युत संस्थाओं को शामिल किया गया है।

निम्नलिखित विद्युत वितरण संस्थाओं को पहली बार 2019-20 के लिए रिपोर्ट में शामिल किया गया है:

<u>संघ राज्य क्षेत्र</u>

1. बिजली विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. चंडीगढ़ बिजली विभाग
3. दादरा एंड नगर हवेली (डीएनएच) पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. दमन एवं दीव बिजली विभाग
5. बिजली विभाग, लक्षद्वीप

<u>निजी डिस्कॉम</u>

1. टोरेंट पावर, अहमदाबाद
2. टोरेंट पावर, सूरत
3. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल)
4. नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल)
5. इंडिया पावर कंपनी लिमिटेड (आईपीसीएल)
6. सीईएससी लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)

इस रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 पर फोकस के साथ 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए राज्य विद्युत संस्थाओं का कार्य-निष्पादन शामिल है। उपलब्ध जानकारी का विद्युत संस्था-वार और/या राज्य-वार यथासंगत विश्लेषण किया गया है। भौतिक और वित्तीय पैरामीटरों पर क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के अतिरिक्त, यह रिपोर्ट प्रमुख वित्तीय संकेतकों जैसे एटी एंड सी हानि, राजस्व अंतर, प्राप्य राशियों का स्तर, इक्विटी के लिए ऋण का अनुपात, नेट वर्थ, नियोजित पूंजी आदि का विश्लेषण प्रदान करती है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, जेडको, एकीकृत विद्युत संस्थाओं और विद्युत विभागों को वितरण संस्थाओं के साथ समूहबद्ध किया गया है।

इनपुट

निगमित एंटिटी: विद्युत संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट के प्रयोजन से पीएफसी को उपलब्ध करवाए गए वार्षिक लेखा (अंकेक्षित/अनंकेक्षित/अनंतिम) रिपोर्ट के लिए प्राथमिक इनपुट हैं। सब्सिडी प्राप्तियों, उपभोक्ता श्रेणी-वार बिक्री, एटी एंड सी हानि और अन्य तकनीकी पैरामीटरों की गणना के लिए जानकारी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, यदि वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध नहीं है, तो विद्युत संस्थाओं से और/या एसईआरसी द्वारा जारी ट्रू-अप आदेशों से अलग से प्राप्त की जाती है। जहां भी उपलब्ध कराए गए अनंतिम लेखे लेखापरीक्षा के अधीन हैं और उनमें निहित जानकारी वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने पर बदल सकती है।

विद्युत विभाग: पीएफसी पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा उपयोग किए गए संसाधन योजनाओं के प्रारूपों के आधार पर विद्युत विभागों से जानकारी प्राप्त कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए टैरिफ/ट्रू-अप याचिकाओं में उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों का भी रिपोर्ट हेतु इनपुट के रूप में उपयोग किया गया है। विद्युत संस्थाओं द्वारा पीएफसी को प्रस्तुत जानकारी/टैरिफ/ट्रू-अप याचिका में प्रस्तुत जानकारी एक सीमित रेंज प्रदान करती है और आगामी वर्षों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, टैरिफ याचिका प्रारूप तुलन-पत्र में यथा उपलब्ध परिसंपत्ति-देयता जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित जानकारी विद्युत विभागों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं के आधार पर डाटा अपडेट किया गया है।

सारणी 9: जानकारी के स्त्रोतों का वर्ष-वार सारांश नीचे दिया गया है:

वर्ष	विद्युत संस्थाओं की संख्या	जानकारी का स्रोत		
		अंकेक्षित लेखे	अनंतिम लेखे	जानकारी/टैरिफ याचिका
2019-20	115	96	9	10
2018-19	115	100	5	10
2017-18	114	100	4	10

भारतीय लेखांकन मानदंडों (इंड एएस) को अपनाना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखांकन मानदंडों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप का निर्धारण किया। रिपोर्ट में शामिल 115 विद्युत संस्थाओं में से, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 82 विद्युत संस्थाओं ने इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों की सूचना दी है। 66 विद्युत वितरण संस्थाओं में से, 39 ने इंड एएस के अनुसार अपनी वित्तीय रिपोर्ट दी है।

जानकारी की उपलब्धता संबंधी स्थिति **परिशिष्ट-I** में संलग्न है।

एटी एंड सी हानियों की गणना के लिए संशोधित कार्यप्रणाली

सीईए की दिनांक 02.06.2017 की अधिसूचना सीईए/डीपीडी/एटी एंड सी लॉसेज/2017/757-818 और उसके बाद दिनांक 08.08.2018 के अनुशेष के अनुसार, 2015-16 से एटी एंड सी हानियों की गणना सीईए द्वारा अधिसूचित कार्यप्रणाली के अनुसार की जा रही है। एटी एंड सी हानियों की गणना हेतु अतिरिक्त जानकारी ड्रू अप याचिकाओं और/अथवा विद्युत संस्थाओं द्वारा पीएफसी को प्रस्तुत जानकारी से प्राप्त की जाती है।

एटी एंड सी हानियों की गणना के लिए संशोधित कार्यप्रणाली पर सीईए अधिसूचना **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

टिप्पणी

रिपोर्ट में ऋणात्मक (नेगेटिव) आंकड़े कोष्ठक के भीतर दिखाई देते हैं। ज़ीरो वैल्यू को हाइफ़न (-) द्वारा इंगित किया गया है। रिपोर्ट में दिखाई देने वाले शून्य -1 और 1 के बीच के आंकड़ों के अनुरूप होते हैं। रिक्त सेल्स जानकारी उपलब्ध नहीं/ लागू नहीं इंगित करती हैं।

पैरामीटरों की सूची

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
कुल राजस्व	क	प्रचालनों/विद्युत की बिक्री से राजस्व	करोड़ रु.	A1	अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री से राजस्व (रिबेट और ईडी को घटाकर)
				A2	वितरण फ्रेंचाईजी से राजस्व
				A3	बिजली की चोरी आदि के लिए तय प्रभार/ईंधन समायोजन प्रभार/वसूली
				A4	विद्युत/यूआई की ट्रेडिंग से राजस्व
				A5	ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं/व्हीलिंग/कोई अन्य ऑपरेटिंग राजस्व से राजस्व

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
				नोट	*विद्युत की बिक्री से राजस्व =A1+ A2+ A4 परिचालनों से राजस्व = विद्युत की बिक्री से राजस्व + व्हिलिंग प्रभारों एवं एफ़एसए (A3 एवं A5) सहित अन्य परिचालनगत*
				नोट	*जेनको के लिए: डिस्कोमों को विद्युत की बिक्री से राजस्व*
				नोट	*ट्रांसको के लिए: एनर्जी व्हीलिंग/हैंडलिंग से राजस्व*
		सब्सिडी	करोड़ रु.	A6	राजस्व के भाग के रूप में दर्ज टैरिफ सब्सिडी
				A7	उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान
				A8	ब्याज सब्सिडी/व्यवहार्यता अंतराल निधीयन आदि जैसे अन्य राजस्व अनुदान
		अन्य आय	करोड़ रु.	A9	विलंबित भुगतान प्रभार
				A10	अन्य गैर-प्रचालनरत आय
		विनियामक आय	करोड़ रु.	A11	पी एंड एल विवरण में यथा सम्मिलित फ्यूचर टैरिफ से वसूली योग्य आय
कुल व्यय	ख	विद्युत खरीद लागत (स्व उत्पादन सहित)	करोड़ रु.	B1	विद्युत की खरीद हेतु लागत
				B2	खरीदी गई विद्युत हेतु पारेषण प्रभार
				B3	ईंधन की लागत-कोयला, गैस एवं तेल आदि
				B4	ट्रायल अवधि के दौरान पूंजीकृत व्ययों को घटाकर अन्य व्यय
		कार्मिक लागत	करोड़ रु.	B5	पूंजीकृत व्ययों को घटाकर कार्मिक लागत
		ब्याजगत लागत	करोड़ रु.	B6	पूंजीकृत व्ययों को घटाकर ब्याजगत एवं वित्तीय लागत
		मूल्यह्रास	करोड़ रु.	B7	पूंजीकृत व्ययों को घटाकर मूल्यह्रास
		अन्य लागतें	करोड़ रु.	B8	मरम्मत एवं रखरखाव, प्रशासनिक एवं सामान्य, प्रावधान एवं अन्य व्यय
प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	ग	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी	करोड़ रु.	C1	चालू वर्ष के लिए दर्ज की गई टैरिफ सब्सिडी के निमित्त प्राप्त टैरिफ सब्सिडी
				C2	पिछले वर्षों के लिए प्राप्त टैरिफ सब्सिडी बकाया

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
सकल इनपुट ऊर्जा	घ	सकल इनपुट ऊर्जा	एमयू	D1	यूआई आयात सहित सकल विद्युत खरीद
				नोट	*एकीकृत विद्युत संस्थाओं एवं जेडको के लिए: सकल विद्युत खरीद में निवल स्व उत्पादन शामिल है*
				नोट	*सकल इनपुट ऊर्जा में ओपन एक्सेस इनपुट/एनर्जी व्हील्ड शामिल नहीं है*
				नोट	*जेनको के लिए: निवल स्व उत्पादन*
				नोट	*ट्रांसको के लिए: एनर्जी हैंडल्ड*
				नोट	*ट्रेडिंग कंपनियों के लिए: सकल विद्युत खरीद*

बेची गई सकल ऊर्जा	ड़	बेची गई सकल ऊर्जा	एमयू	E1	डीएफ को बेची गई, ट्रेड की गई ऊर्जा और यूआई निर्यात सहित बेची गई सकल ऊर्जा
				नोट	*सकल बेची गई ऊर्जा मे ओपन एक्सेस बिक्री/व्हील्ड एनर्जी शामिल नहीं है*

अंतराल	च	आपूर्ति की औसत लागत	Rs./kWh	F1	B∗10/D
		एआरआर (दर्ज की गई सब्सिडी)	Rs./kWh	F2	A∗10/D
		अंतराल (दर्ज की गई सब्सिडी)	Rs./kWh	F3	(F1-F2)
		एआरआर (प्राप्त सब्सिडी)	Rs./kWh	F4	(A-A6+C)∗10/D
		अंतराल (प्राप्त सब्सिडी)	Rs./kWh	F5	(F1-F4)
				नोट	*लागत संरचना: सकल इनपुट ऊर्जा की प्रति यूनिट कुल व्यय के घटक*
				नोट	*राजस्व संरचना: सकल इनपुट ऊर्जा की प्रति यूनिट कुल राजस्व के घटक*

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
कुल परिसंपत्तियां	छ	निवल मूर्त परिसंपत्तियां	करोड़ रु.	G1	सॉफ्टवेयर सहित निवल मूर्त परिसंपत्तियां
		चालू पूंजीगत कार्य	करोड़ रु.	G2	ठेकेदारों को पूंजीगत अग्रिमों सहित चालू पूंजीगत कार्य
		गैर-चालू परिसंपत्तियां	करोड़ रु.	G3	निवेश, ऋण, अन्य गैर-चालू वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां आदि
		विनियामक परिसंपत्तियां	करोड़ रु.	G4	विनियामक आस्थगन लेखा शेष
		ट्रेड प्राप्य राशियां	करोड़ रु.	G5	स्थायी रूप से डिस्कनेक्टिड उपभोक्ताओं से ड्यूज सहित विद्युत की बिक्री से निवल प्राप्य राशियां
		अन्य चालू परिसंपत्तियां	करोड़ रु.	G6	इनवेंटरीज, नकदी एवं नकदी शेष, अन्य चालू वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

कुल इक्विटी एवं देयताएं	ज	इक्विटी	करोड़ रु.	H1	शेयर एप्लिकेशन धन लंबित आबंटन सहित इक्विटी
		पूंजीगत रिजर्व	करोड़ रु.	H2	सामान्य रिजर्व
				H3	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व
				H4	तुलन पत्र के अनुसार प्रतिधारित अर्जन
				H5	उपभोक्ता अंशदान
				H6	पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान
		गैर-चालू ऋण राशियां	करोड़ रु.	H7	राज्य सरकारों से गैर-चालू ऋण राशियां
				H8	बैंकों/एफआई/बॉण्डों/अन्यों से गैर-चालू ऋण राशियां
		अन्य गैर-चालू देयताएं	करोड़ रु.	H9	प्रतिभूति जमा, अन्य गैर- चालू वित्तीय अनूर गैर-चालू देयताएं
		चालू ऋण राशियां	करोड़ रु.	H10	राज्य सरकारों से अल्पावधि ऋण राशियां
				H11	बैंकों/एफआई/बॉण्डों/अन्यों से अल्पावधि ऋण राशियां
				H12	राज्य सरकारों से दीर्घावधि ऋणों पर चालू मैच्योरिटीज और देय ब्याज
				H13	बैंकों/एफआई/बॉण्डों/अन्यों से दीर्घावधि ऋणों पर चालू मैच्योरिटीज और देय ब्याज
		विद्युत की खरीद के लिए देय राशियां	करोड़ रु.	H14	विद्युत खरीद ड्यूज के लिए निवल देय राशि
				नोट	*एकीकृत विद्युत संस्थाओं और जेडको के लिए: विद्युत खरीद ड्यूज में शामिल ईंधन के*

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
					लिए देय राशियां
		अन्य चालू देयताएं	करोड़ रु.	H15	अन्य चालू वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताएं और प्रावधान
निवल आय (नेट वर्थ)	झ	निवल आय (नेट वर्थ)	करोड़ रु.	I1	(H1+H2+H4+H6)
				नोट	*बट्टे खाते नहीं डाला गया कोई विविध व्यय नेट वर्थ की गणना के लिए समायोजित किया जाता है*

कुल ऋण राशियां (स्रोत-वार)	ञ	राज्य सरकार ऋण	करोड़ रु.	J1	(H7+H10+H12)
		अन्य ऋण राशियां	करोड़ रु.	J2	(H8+H11+H13)

कुल ऋण राशियां (अवधि-वार)	ट	दीर्घावधि ऋण राशियां	करोड़ रु.	J3	(H7+H8)
		अल्पावधि ऋण राशियां	करोड़ रु.	J4	(H10+H11)
		दीर्घावधि ऋणों पर चालू मैच्योरिटीज और देय ब्याज	करोड़ रु.	J5	(H12+H13)

विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशियां (दिनों की संख्या)	ड	विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशियां (दिनों की संख्या)	संख्या	L1	365*G5/(A1+A2+A3+A4+A5)

देय राशियां - विद्युत की खरीद (दिनों की संख्या)	ढ	देय राशियां - विद्युत की खरीद (दिनों की संख्या)	संख्या	M1	365*H14/(B1+B2+B3+B4)
				नोट	*एकीकृत विद्युत संस्थाओं और जेडको के लिए: विद्युत खरीद ड्यूज में शामिल ईंधन के लिए देय राशियां*

बिलिंग दक्षता	त	व्यापारित ऊर्जा	एमयू	O1	राज्य/यूआई निर्यात के बाहर बेची गई ऊर्जा
		पारेषण हानियां	एमयू	O2	अंतर-राज्य एवं अंतरा-राज्य पारेषण हानियां

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
		निवल इनपुट ऊर्जा	एमयू	O3	(D1-O1-O2)
		बेची गई निवल ऊर्जा	एमयू	O4	(E1-O1)
		बिलिंग दक्षता	%	O5	(O4/O3)*100
एटी एंड सी हानियां	थ	बिल किया गया राजस्व	करोड़ रु.	P1	(A1+A2+A3+A6)
		सकल प्रारंभिक देनदार	करोड़ रु.	P2	किसी भी राइट-ऑफ के लिए समायोजित प्रावधान से पहले राज्य के भीतर विद्युत की बिक्री के लिए प्रारंभिक देनदार
		सकल अंतिम देनदार	करोड़ रु.	P3	किसी भी राइट-ऑफ के लिए समायोजित प्रावधान से पहले राज्य के भीतर विद्युत की बिक्री के लिए अंतिम देनदार
		संग्रहीत राजस्व	करोड़ रु.	P4	(A1+A2+A3+C+P2-P3)
		संग्रहण दक्षता	%	P5	(P4/P1)*100
		प्राप्त ऊर्जा	एमयू	P6	P5*O4
		एटी एंड सी हानि	%	P7	100* (O3-P6)/O3

उपभोक्ता श्रेणी वार राजस्व	द	घरेलू	करोड़ रु.	Q1	बीपीएल सहित घरेलू उपभोक्ताओं से राजस्व
		वाणिज्यिक	करोड़ रु.	Q1	वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से राजस्व
		कृषि	करोड़ रु.	Q3	कृषिगत उपभोक्ताओं से राजस्व
		औद्योगिक	करोड़ रु.	Q4	औद्योगिक उपभोक्ताओं से राजस्व (एलटी+एचटी)
		अन्य	करोड़ रु.	Q5	सार्वजनिक विद्युत संस्थाओं, रेलवे ट्रैक्शन, अंतर राज्य, बल्क आपूर्ति आदि से राजस्व
				नोट	*Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 = A1+A2+A4*

उपभोक्ता श्रेणी वार बिक्री (ई)	ध	घरेलू	एमयू	R1	बीपीएल सहित घरेलू उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा
		वाणिज्यिक	एमयू	R2	वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा
		कृषि	एमयू	R3	कृषिगत उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा
		औद्योगिक	एमयू	R4	औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा (एलटी+एचटी)

पैरामीटर		सब-पैरामीटर	यूनिट		समावेशन
		अन्य	एमयू	R5	सार्वजनिक यूटिलिटियों, रेलवे ट्रैक्शन, अंतर राज्य, बल्क आपूर्ति आदि को बेची गई ऊर्जा
				नोट	*R1+R2+R3+R4+R5 = E*

उपभोक्ता श्रेणी वार प्रति यूनिट राजस्व	न	घरेलू	Rs./kWh	S1	Q1*10/R1
		वाणिज्यिक	Rs./kWh	S2	Q2*10/R2
		कृषि	Rs./kWh	S3	Q3*10/R3
		औद्योगिक	Rs./kWh	S4	Q4*10/R4
		अन्य	Rs./kWh	S5	Q5*10/R5
कुल बिक्री में एमयू में बिक्री का ब्योरा	प	कुल बिक्री	एमयू	T1	R1+R2+R3+R4+R5
		घरेलू	%	T2	R1*100/T1
		वाणिज्यिक	%	T3	R2*100/T1
		कृषि	%	T4	R3*100/T1
		औद्योगिक	%	T5	R4*100/T1
		अन्य	%	T6	R5*100/T1

टैरिफ सब्सिडी सहित विद्युत की बिक्री से कुल राजस्व में करोड़ रुपए में राजस्व का ब्योरा	फ	टैरिफ सब्सिडी सहित विद्युत की बिक्री से कुल राजस्व	करोड़ रु.	U1	Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+A6
		घरेलू	%	U2	Q1*100/U1
		वाणिज्यिक	%	U3	Q2*100/U1
		कृषि	%	U4	Q3*100/U1
		औद्योगिक	%	U5	Q4*100/U1
		अन्य	%	U6	Q5*100/U1
		बुक की गई टैरिफ सब्सिडी	%	U7	A6*100/U1

वितरण संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

इस खंड में वितरण संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के उद्देश्य से, जेडको, एकीकृत विद्युत संस्थाओं और विद्युत विभागों को वितरण संस्थाओं के साथ समूहबद्ध किया गया है।

विद्युत उद्योग में वितरण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि राजस्व अंततः वितरण के अंत में ग्राहक के साथ उत्पन्न होता है और पूरे मूल्य श्रृंखला के लिए राजस्व प्रदान करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, वितरण संस्थाओं ने एटी एंड सी हानियों में सुधार दिखाया है, जिसमें 2018-19 में 21.74% से 2019-20 में 20.93% का सुधार हुआ।

1. कुल राजस्व एवं कुल व्यय

<u>विद्युत बिक्री से राजस्व</u>

वितरण संस्थाओं द्वारा बेची गई सकल ऊर्जा ने वर्ष 2018-19 में 10,01,396 एमयू से वर्ष 2019-20 में 10,20,988 एमयू की 1.96% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। टैरिफ सब्सिडी सहित विद्युत की बिक्री से राजस्व इसी अवधि के दौरान अर्थात वर्ष 2018-19 में 6,06,333 करोड़ रुपए से वर्ष 2019-20 में 6,33,611 करोड़ रुपए की 4.50% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बेहतर राजस्व प्राप्ति का संकेत है।

चित्र 2: टैरिफ सब्सिडी (करोड़ रु) और सकल ऊर्जा बिक्री (एमयू) सहित विद्युत की बिक्री से राजस्व

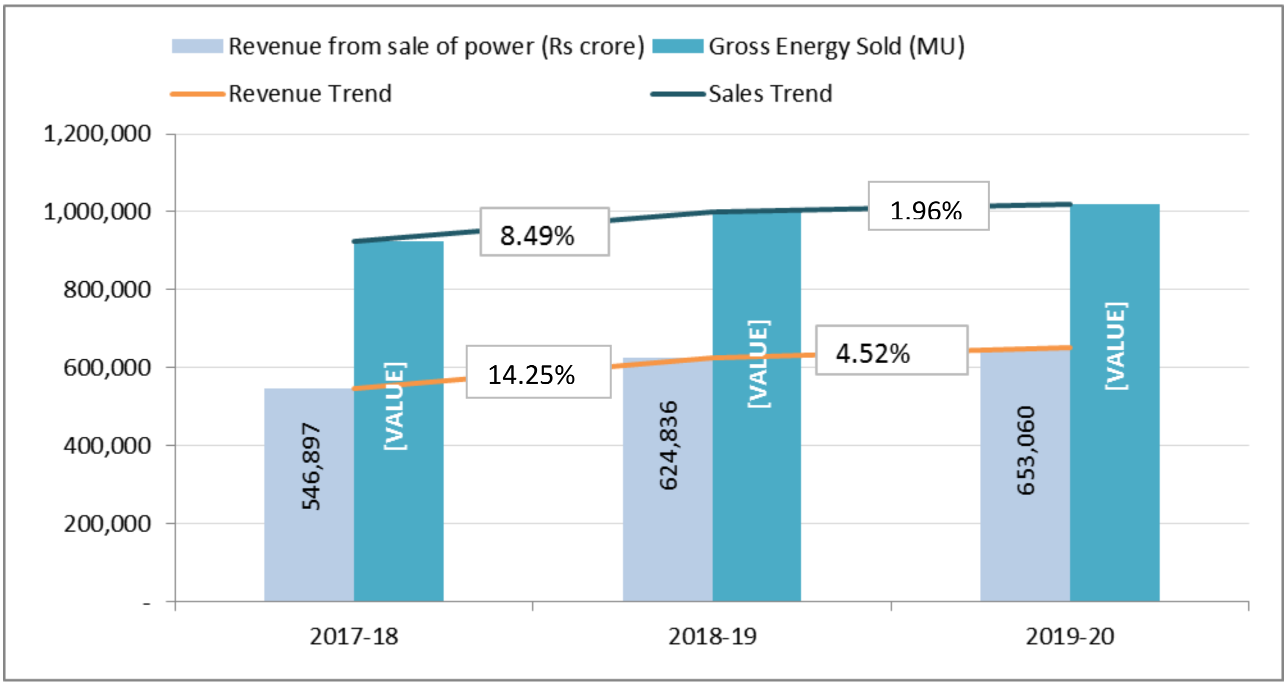

चित्र 3: 2019-20 में कुल ऊर्जा बिक्री का राज्य-वार वितरण

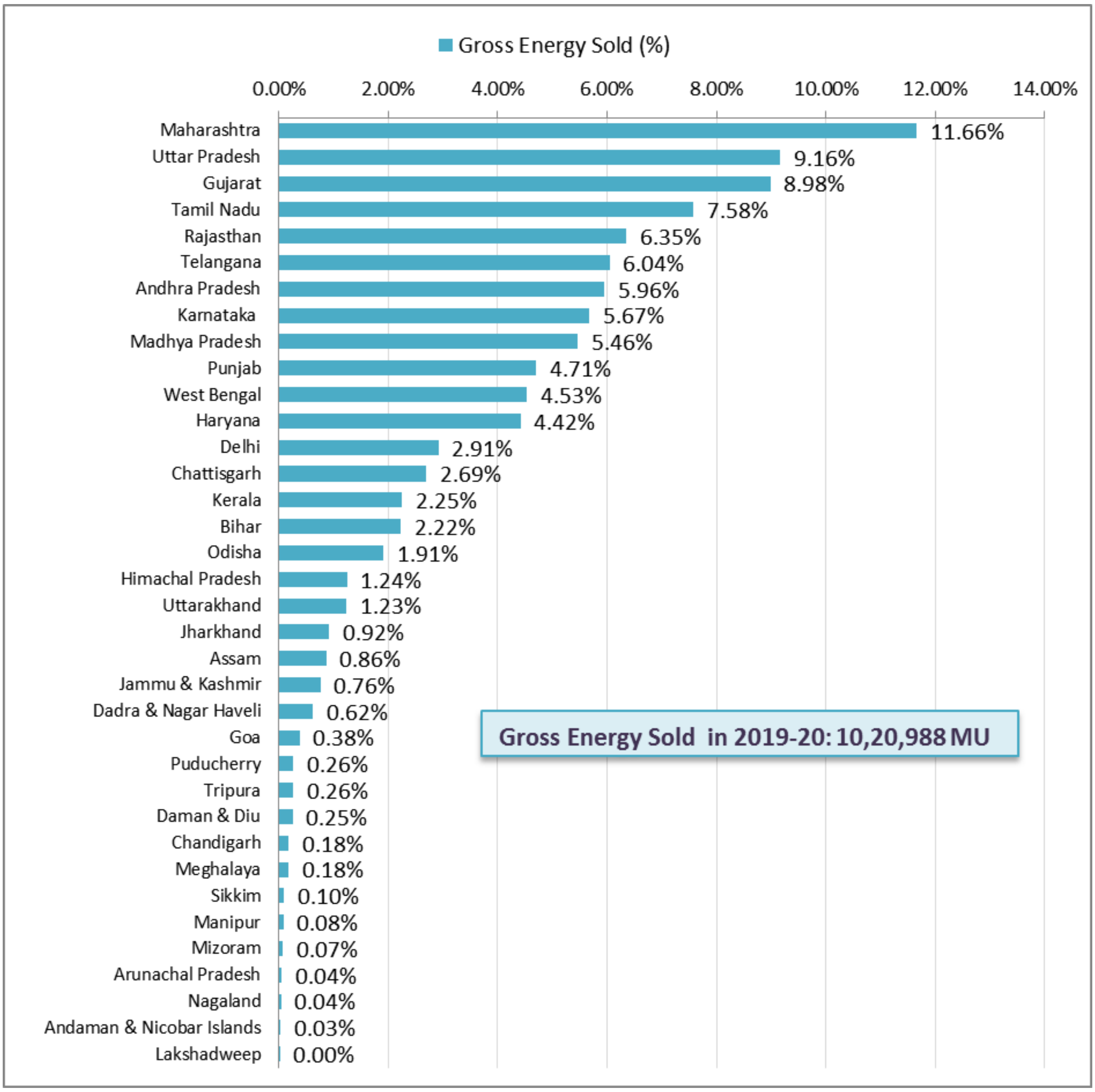

<u>बुक की गई और प्राप्त टैरिफ सब्सिडी</u>

वितरण संस्थाओं द्वारा बुक की गई टैरिफ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में 1,10,989 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1,19,921 करोड़ रुपए हुई। कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में बुक की गई टैरिफ सब्सिडी वर्ष 2018-19 में 15.99% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 16.45% हुई। राज्य सरकारों द्वारा जारी सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में जारी सब्सिडी 2018-19 में 89.21% से बढ़कर 2019-20 में 94.65% हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली (98%), पश्चिम बंगाल (95%), कर्नाटक (94%), तेलंगाना (84%), मध्य प्रदेश (80%), जम्मू एवं कश्मीर (75%),

राजस्थान (57%), त्रिपुरा (0%), सिक्किम (0%), और पुदुचेरी (0%) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी वितरण संस्थाओं को संपूर्ण बुक की गई सब्सिडी जारी कर दी है।

उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान

उदय योजना के अंतर्गत आय के रूप में बुक किया गया राजस्व अनुदान वर्ष 2019-20 के दौरान 23,721 करोड़ रुपए और वर्ष 2018-19 के दौरान 20,674 करोड़ रुपए था।

विनियामक आय

वर्ष 2018-19 के दौरान बुक की गई 4,948 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में, वर्ष 2019-20 के दौरान, भावी टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य आय के रूप में वितरण संस्थाओं ने 12,628 करोड़ रुपए की राशि को बुक किया।

कुल राजस्व एवं कुल व्यय

वितरण संस्थाओं के लिए कुल राजस्व (बुक की गई सब्सिडी, विनियामक आय, राजस्व अनुदान और अन्य आय सहित) में 5.02% की वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 2018-19 में 6,94,302 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 7,29,163 करोड़ रुपए, जबकि कुल व्यय 2.37% बढ़ गया अर्थात वर्ष 2018-19 में 7,42,795 करोड़ रुपए से वर्ष 2019-20 में 7,60,393 करोड़ रुपए। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-19 में वसूली लागत 93.47% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 95.89% हुआ है।

चित्र 4: कुल राजस्व, कुल व्यय एवं वसूली की लागत (%)

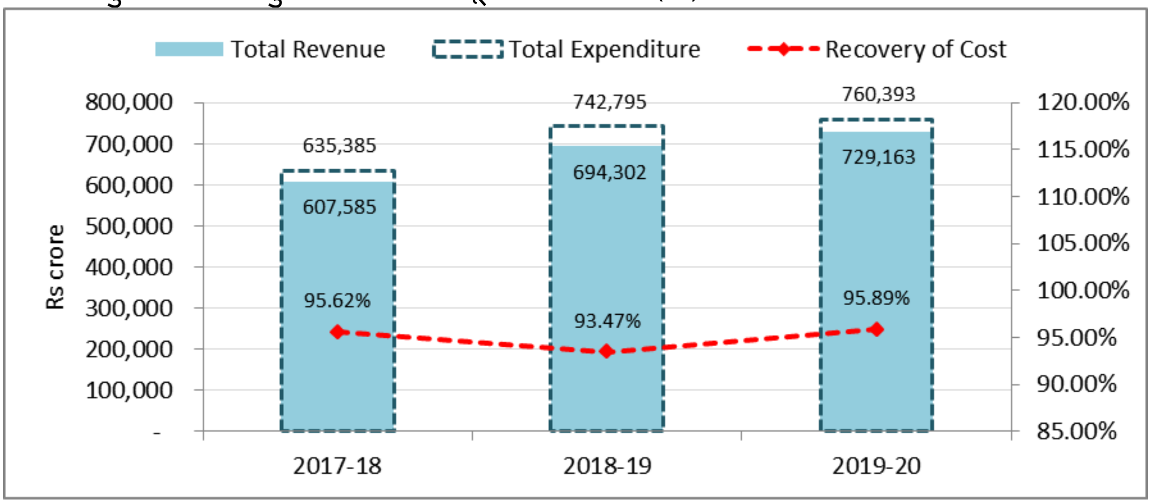

2. लाभप्रदता

वितरण संस्थाओं के लिए समग्र हानियां वर्ष 2018-19 में 49,103 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में 31,672 करोड़ रुपए हो गई - 35.50% का सुधार। प्राप्त सब्सिडी के साथ समग्र हानियां वर्ष 2018-19 में 61,079 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में 38,093 करोड़ रुपए हो गई। उदय के अंतर्गत विनियामक आय एवं अनुदान को छोड़कर प्राप्त सब्सिडी के साथ समग्र हानियां वर्ष 2018-19 में 86,700 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में 74,443 करोड़ रुपए हो गई।

चित्र 5: वितरण संस्थाओं के लिए समग्र हानियां

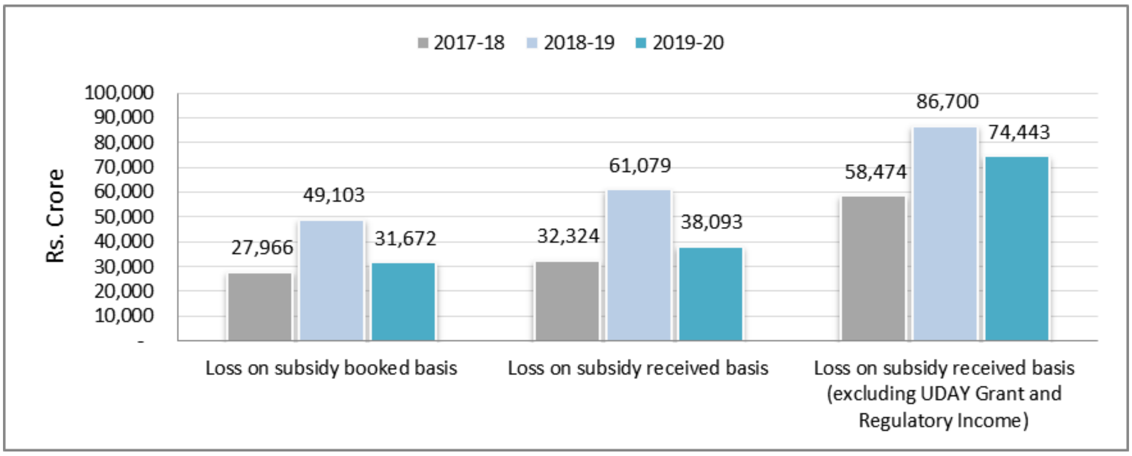

चित्र 6: विनियामक आय एवं उदय अनुदान को छोड़कर प्राप्त टैरिफ सब्सिडी सहित पीएटी-2019-20

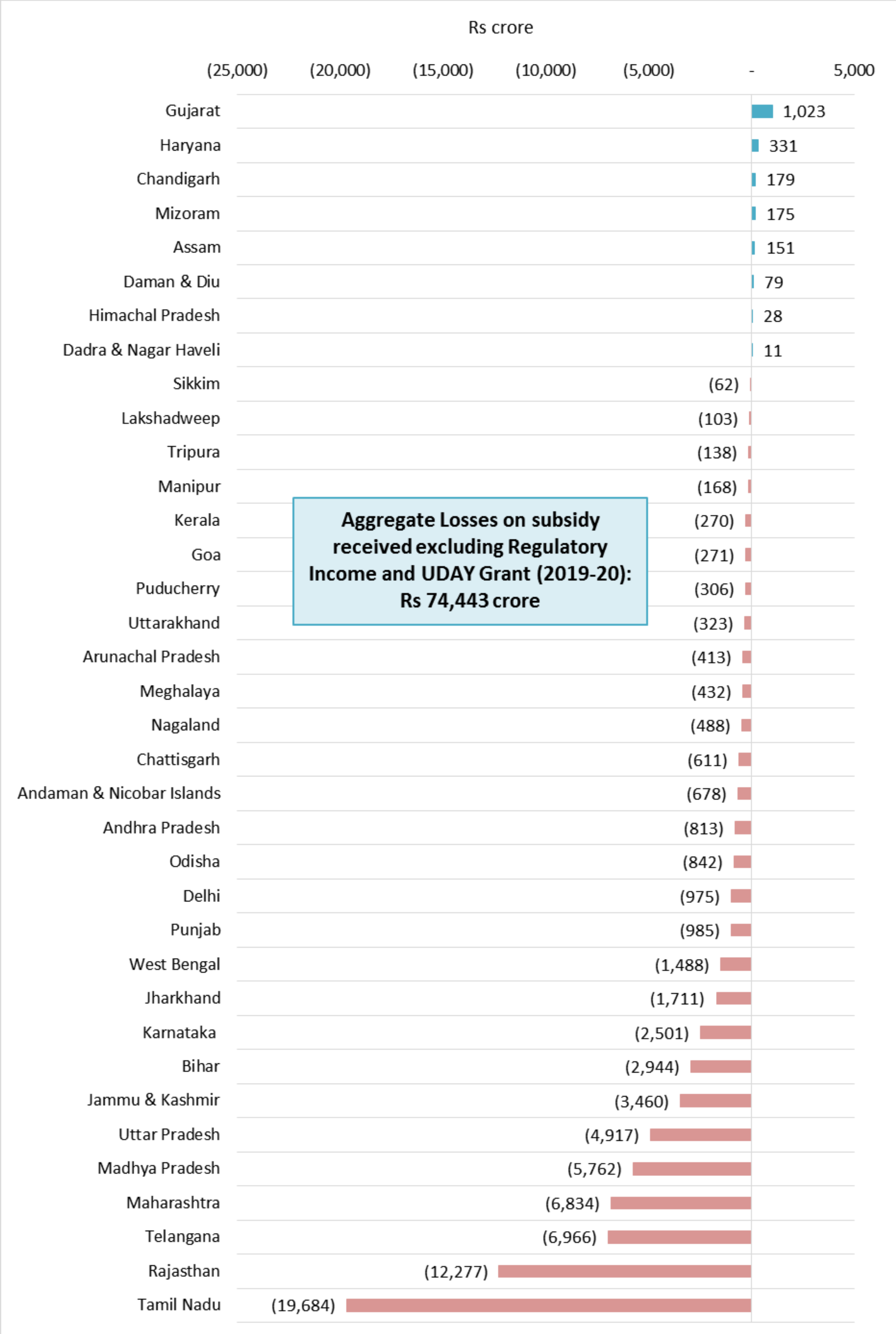

चित्र 7: 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार वाले राज्य

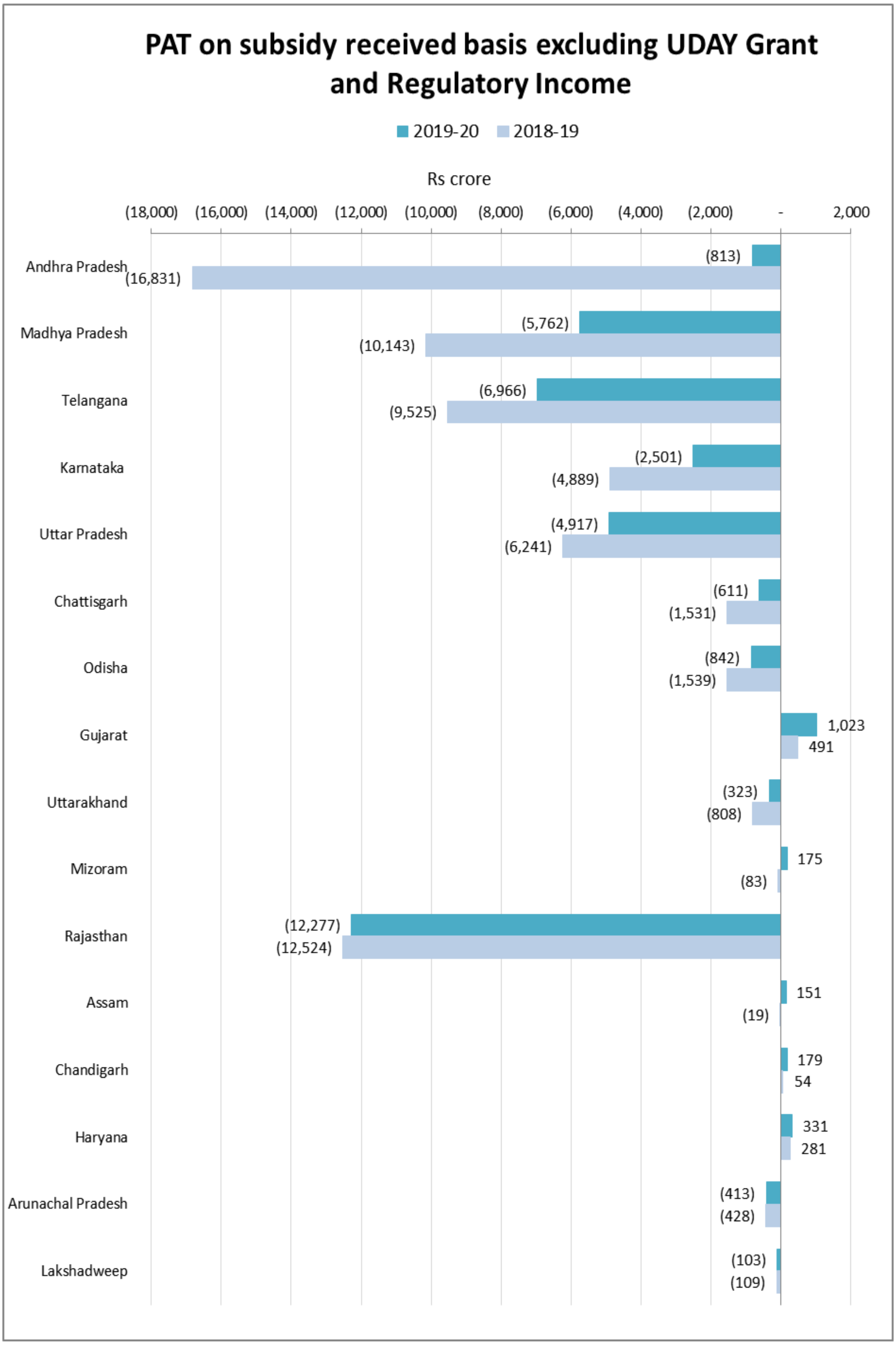

चित्र 8: 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट वाले राज्य

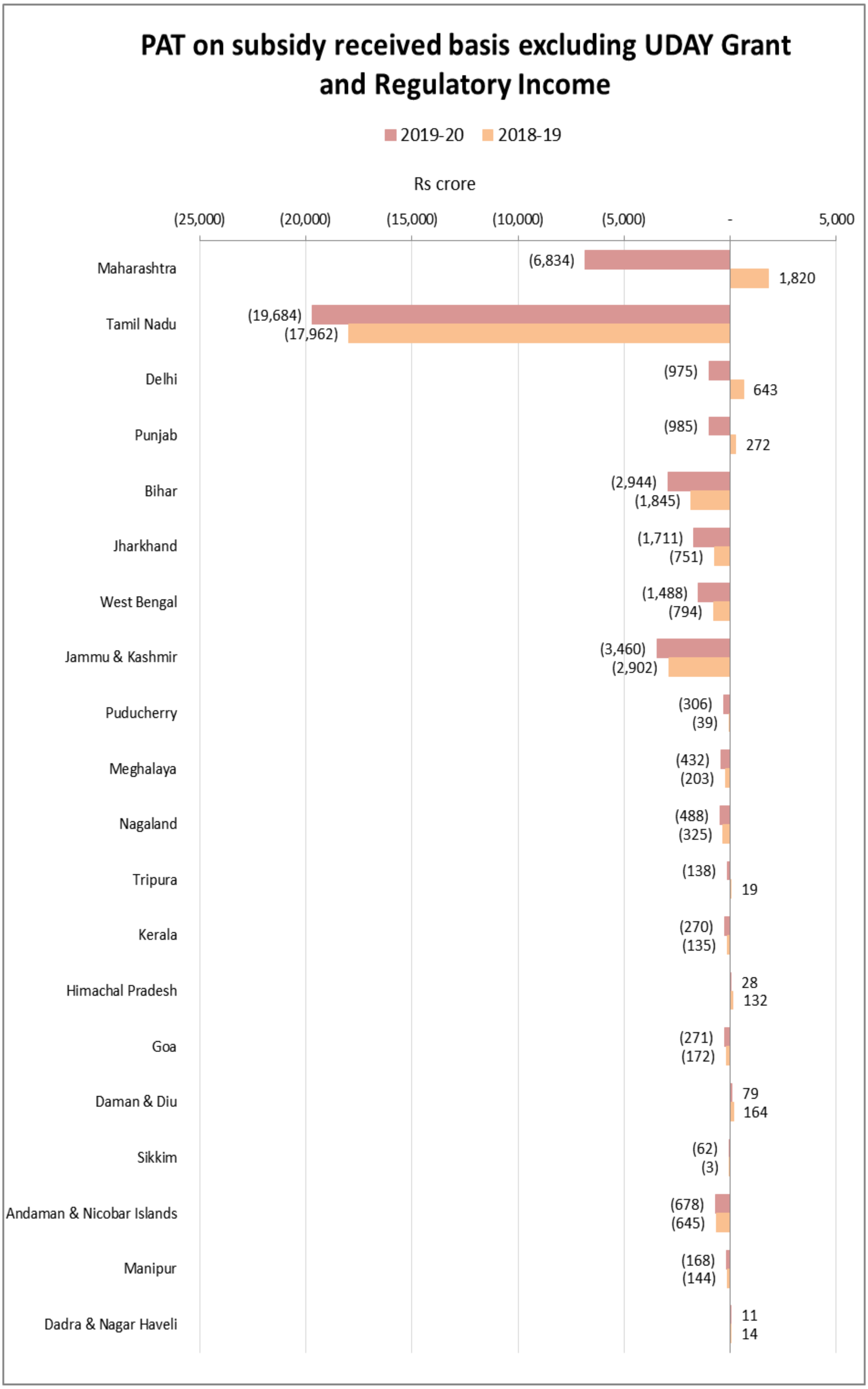

3. आपूर्ति की औसत लागत, औसत राजस्व और राजस्व अंतर

वितरण संस्थाओं के लिए आपूर्ति की औसत लागत वर्ष 2018-19 में 6.00 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6.15 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हुआ है। सब्सिडी के साथ औसत राजस्व वर्ष 2018-19 में 5.51 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 5.85 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हो गया। सब्सिडी प्राप्त राजस्व अंतर वर्ष 2018-19 में 0.49 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से घटकर वर्ष 2019-20 में 0.30 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हो गया। उदय के अंतर्गत राजस्व अनुदान को छोड़कर प्राप्त सब्सिडी के साथ राजस्व अंतर और विनियामक आय वर्ष2018-19 में 0.70 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से घटकर वर्ष 2019-20 में 0.60 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हो गया है।

चित्र 9: आपूर्ति की औसत लागत, औसत राजस्व और राजस्व अंतर

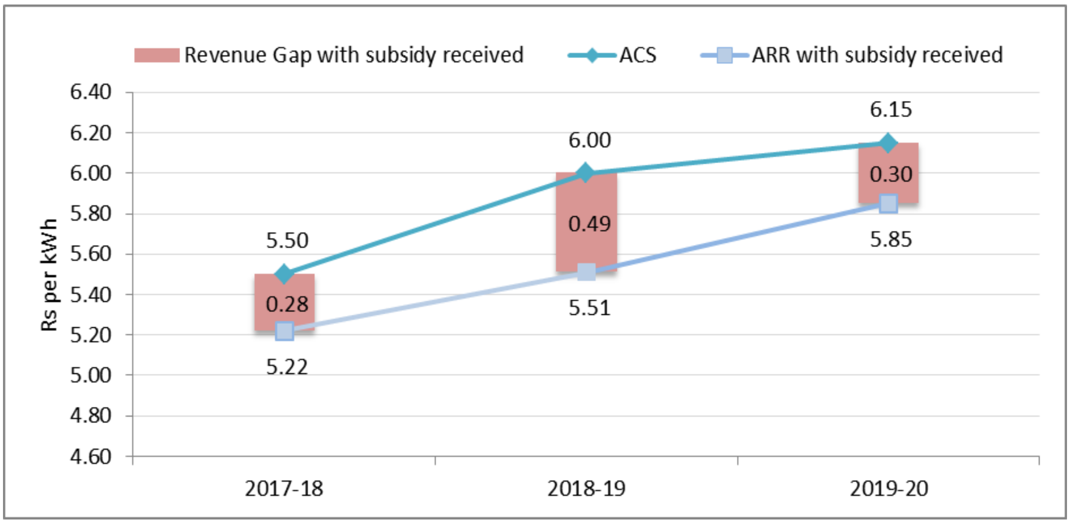

चित्र 10: उदय अनुदान एवं विनियामक आय के बिना राजस्व अंतर

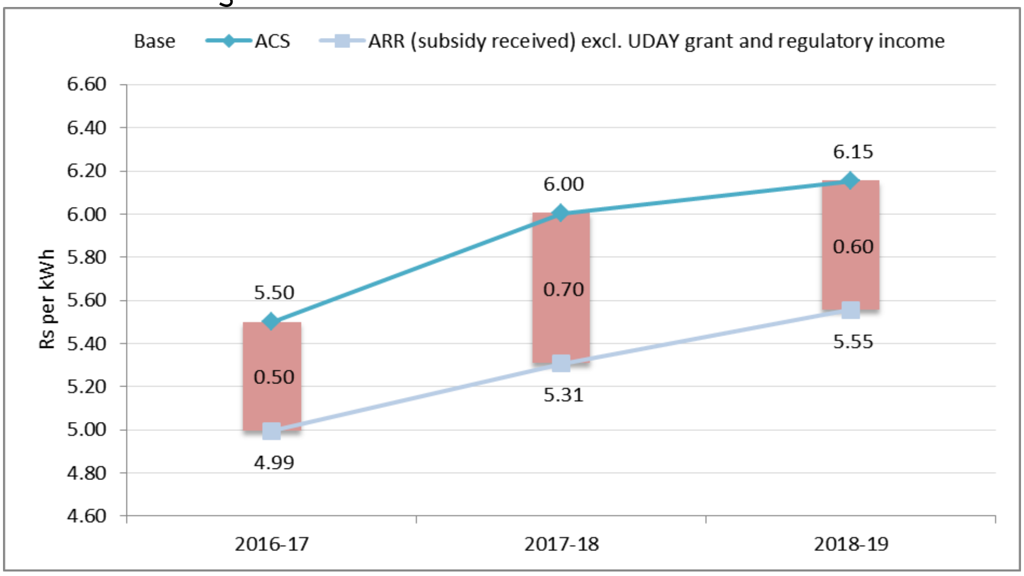

चित्र 11: वर्ष 2019-20 में प्राप्त सब्सिडी आधार (विनियामक आय एवं उदय अनुदान को छोड़कर) के साथ राज्य-वार राजस्व अंतर/(अधिशेष)

4. लागत और राजस्व स्ट्रक्चर

वितरण संस्थाओं के लिए औसत विद्युत खरीद लागत (अपने उत्पादन सहित) वर्ष 2018-19 में 4.64 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 4.73 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हुआ है। वर्ष 2018-19 में ब्याज और वित्त शुल्क 0.40 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से बदकार वर्ष 2019-20 में 0.43 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हुआ है।

परिचालन से राजस्व वर्ष 2018-19 में 4.22 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 4.38 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हो गया है। वर्ष 2018-19 में टैरिफ सब्सिडी 0.90 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 0.97 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच हुआ है।

चित्र 12: वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक लागत स्ट्रक्चर और राजस्व स्ट्रक्चर

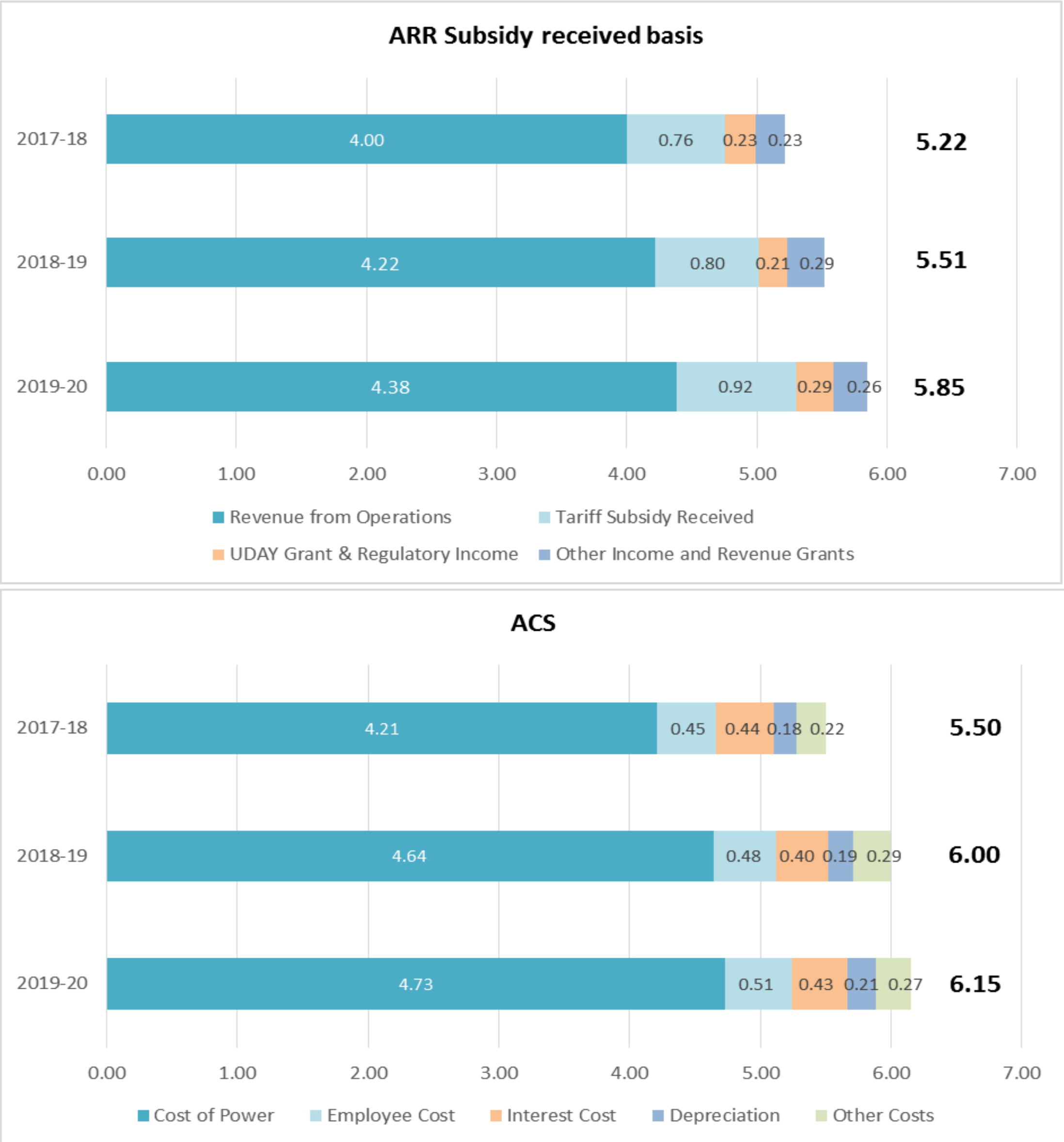

5. इक्विटी, संचित हानियां और निवल मूल्य (नेट वर्थ)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को इक्विटी (शेयर एप्लीकेशन मनी लंबित आवंटन सहित) बढ़कर 3,24,463 करोड़ रुपए हो गई, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2019 को इक्विटी 2,90,887 करोड़ रुपए थी। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक वितरण संस्थाओं की संचित हानि 5,07,416 करोड़ रुपए है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक वितरण संस्थाओं का संयुक्त निवल मूल्य (नेट वर्थ) 36,792 करोड़ रुपए पर नेगेटिव है।

6. कुल ऋण

कुल ऋण दिनांक 31 मार्च, 2019 को 5,00,022 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 5,14,237 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकार ऋण का कुल ऋण प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 19.75% से घटकर वर्ष 2019-20 में 14.48% हो गया। यह कुछ राज्यों द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुदान और इक्विटी में लिए गए ऋण के रूपांतरण के कारण है।

चित्र 13: वर्ष 2010-11 से वितरण संस्थाओं के लिए कुल ऋण (करोड़ रुपए)

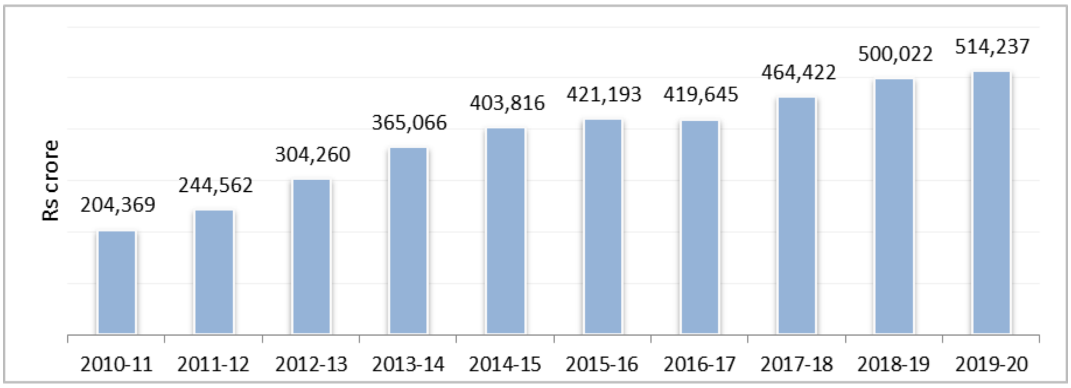

चित्र 14: वर्ष 2019-20 में वितरण संस्थाओं का राज्य-वार कुल ऋण (करोड़ रुपए)

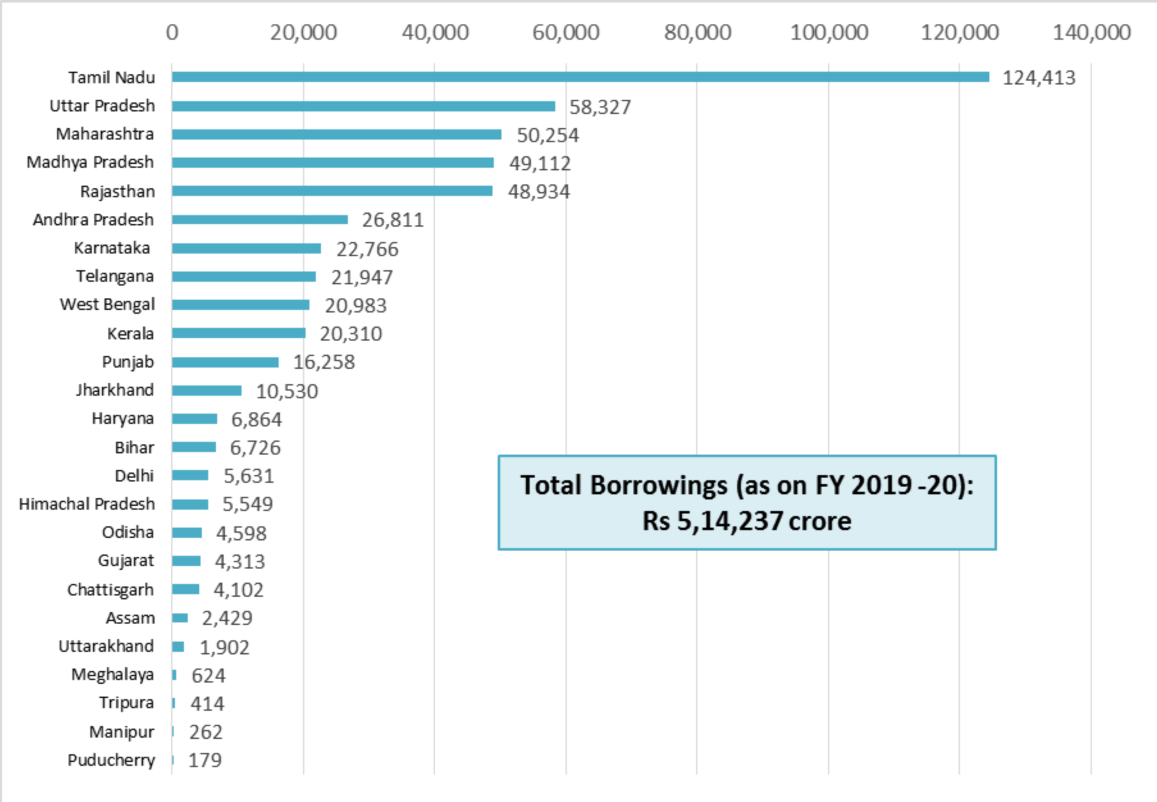

7. विद्युत बिक्री के लिए प्राप्य राशियां

वितरण संस्थाओं के लिए विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशियां दिनांक 31 मार्च, 2019 को 1,79,392 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 2,16,272 करोड़ रुपए हुए है। विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशियां (दिवस की संख्या) दिनांक 31 मार्च, 2019 से 127 दिनों की बिक्री से बढ़कर 31 मार्च, 2020 तक 148 दिनों की बिक्री हुए है।

चित्र 15: 2015-16 से प्राप्तियां और बिक्री के लिए राज्य-वार प्राप्तियां (दिवस)

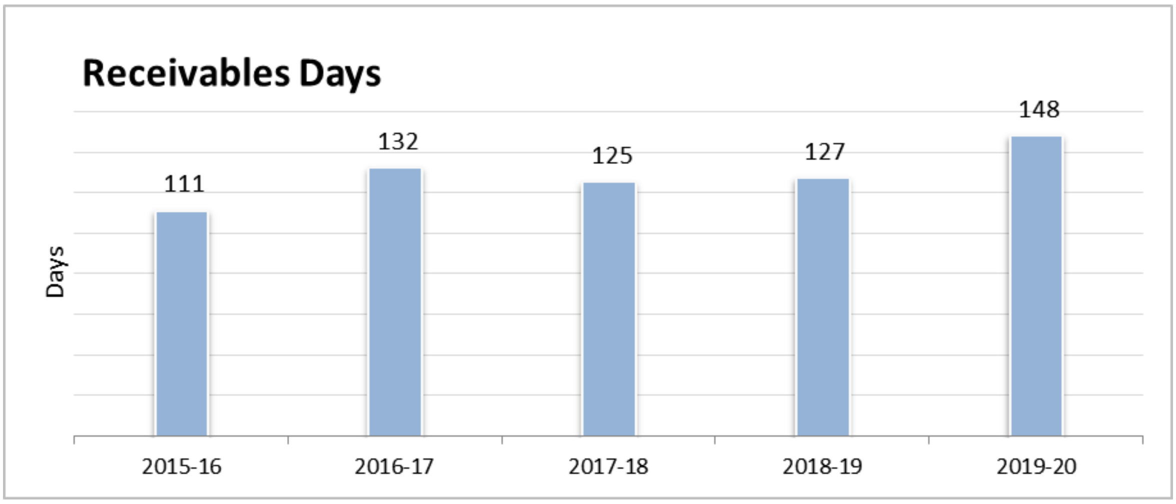

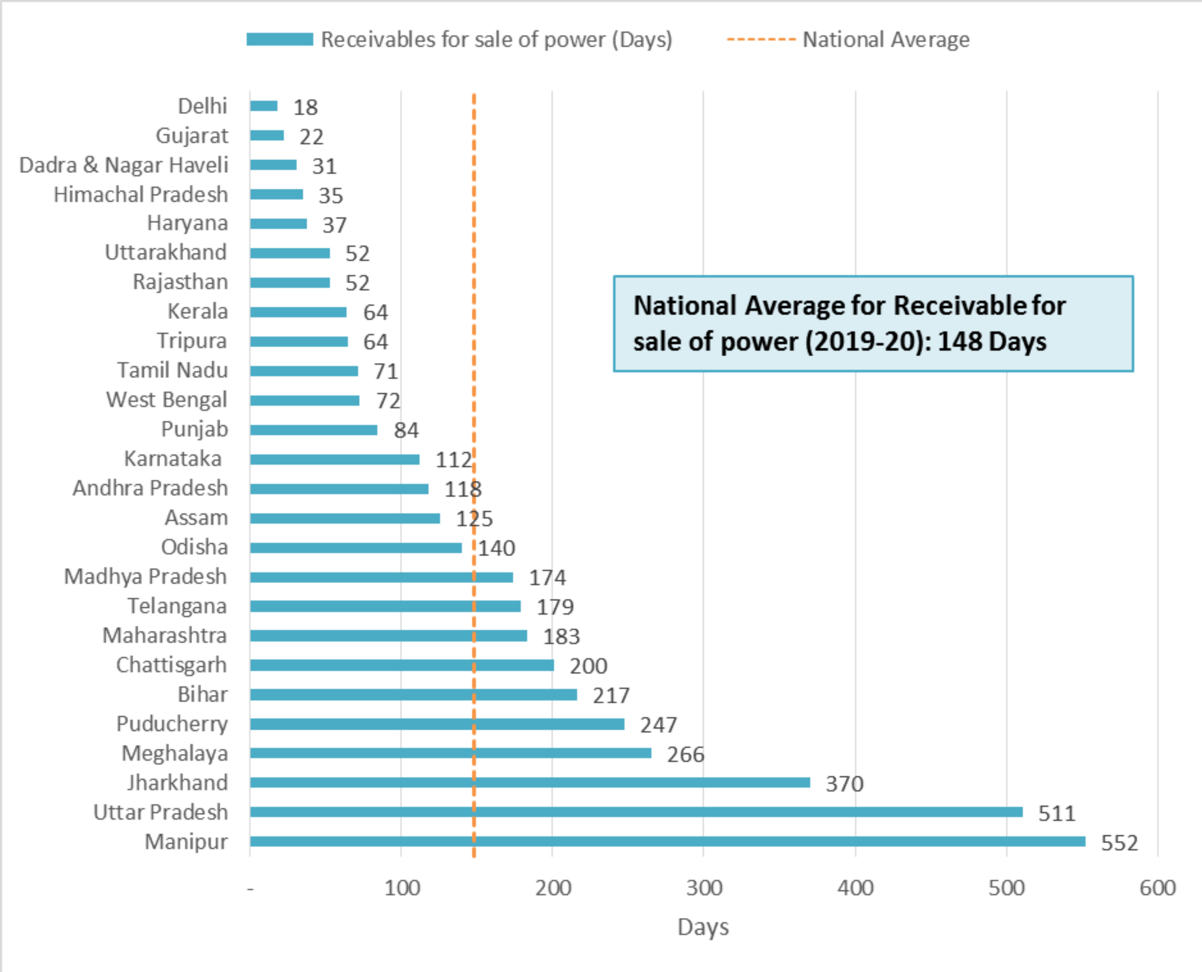

8. विद्युत की खरीद के लिए लेनदार

वितरण संस्थाओं के लिए विद्युत खरीदने के लिए देय दिनांक 31 मार्च, 2019 को 2,28,512 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 2,59,071 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत की खरीद के लिए देय (दिवस की संख्या) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 148 दिन से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 165 दिन हो गए।

चित्र 16: 2015-16 से देय और विद्युत की खरीद के लिए राज्य-वार देय (दिवस)

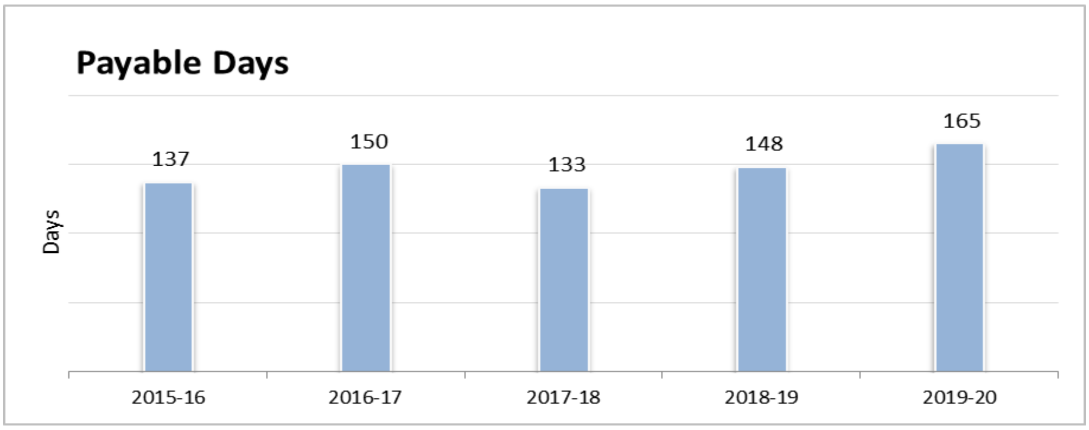

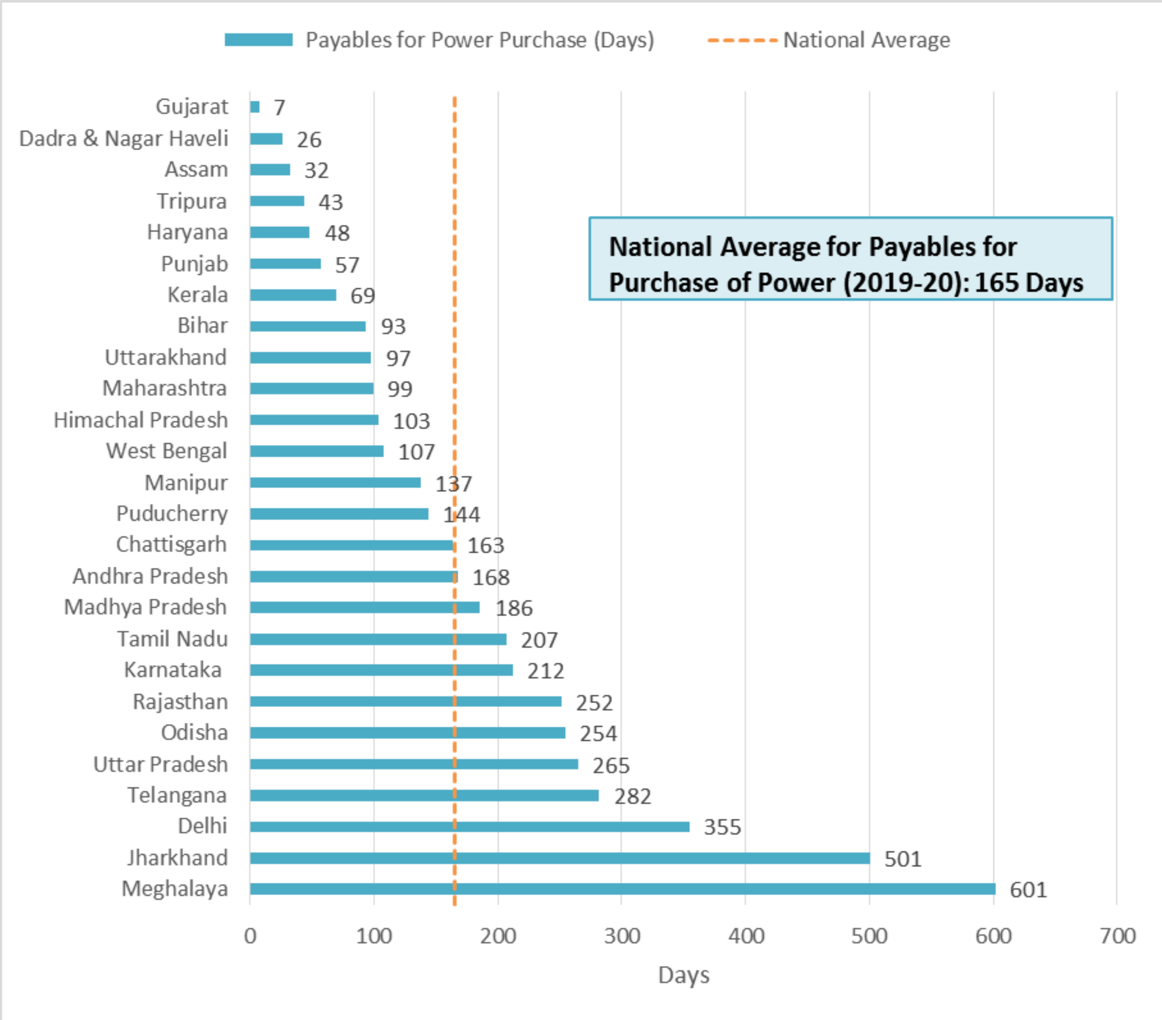

निम्नलिखित खंड 5 से 9 के लिए टिप्पणी:

विद्युत विभागों के संबंध में जानकारी: टैरिफ याचिका प्रारूप तुलन पत्र में उपलब्ध परिसंपत्ति-देयता जानकारी प्रदान नहीं करते हैं और इसलिए परिसंपत्ति और देयताओं के संबंध में जानकारी विद्युत विभागों के लिए उपलब्ध नहीं है।

9. समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी हानि)

राष्ट्रीय स्तर पर वितरण संस्थाओं के लिए औसत एटी एंड सी हानि वर्ष 2018-19 में 21.74% से सुधर कर वर्ष 2019-20 में 20.93% हो गया। बिलिंग क्षमता वर्ष 2018-19 में 83.91% से सुधर कर वर्ष 2019-20 में 85.36% और इसी अवधि में संग्रह क्षमता 93.26% से घटकर 92.64% हो गई।

चित्र 17: बिलिंग क्षमता, संग्रह क्षमता और एटी एंड सी हानि

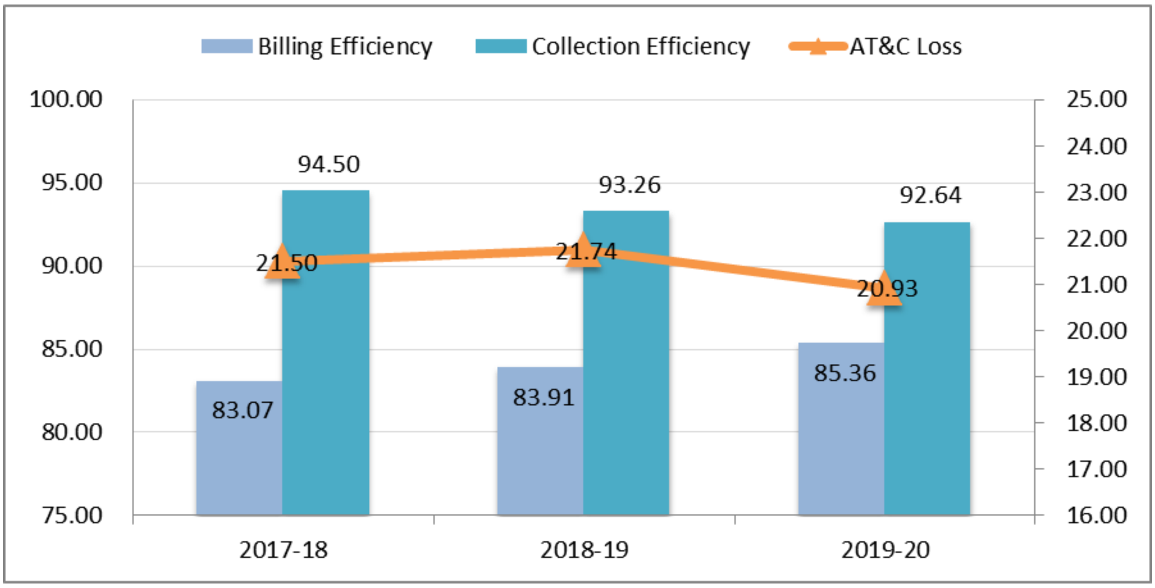

चित्र 18: वर्ष 2010-11 से एटी एवं सी हानियां

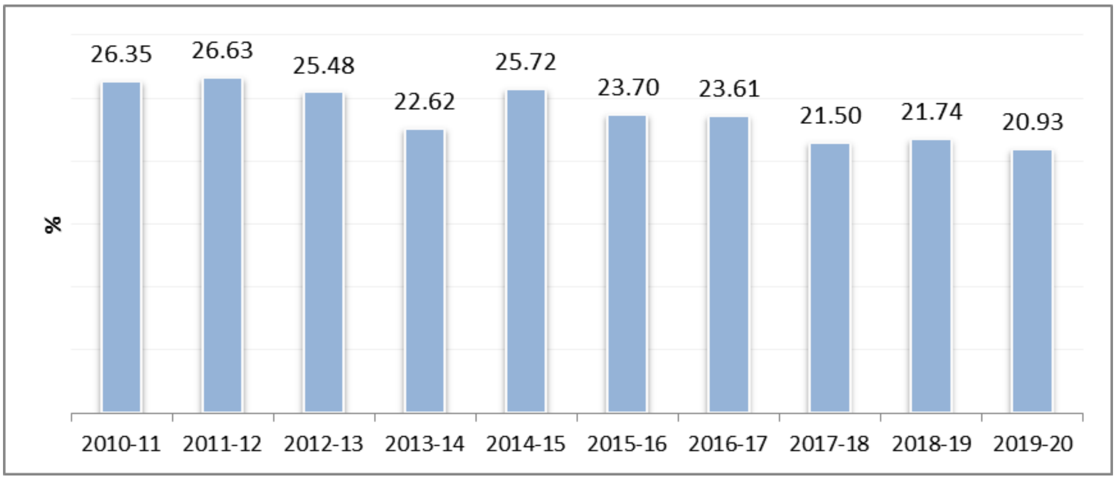

<u>टिप्पणी</u>: वर्ष 2015-16 से एटी एंड सी हानि की गणना सीईए द्वारा संशोधित अधिसूचना के अनुसार की गई है (परिशिष्ट 2 देखें)।

टिप्पणी 2: विद्युत विभागों के संबंध में जानकारी: टैरिफ याचिका प्रारूप व्यापार प्राप्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। एकत्र किए गए राजस्व के संबंध में विद्युत विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संग्रह दक्षता की गणना की गई है।

चित्र 19: वर्ष 2019-20 में राज्य-वार एटी एवं सी हानि (%)

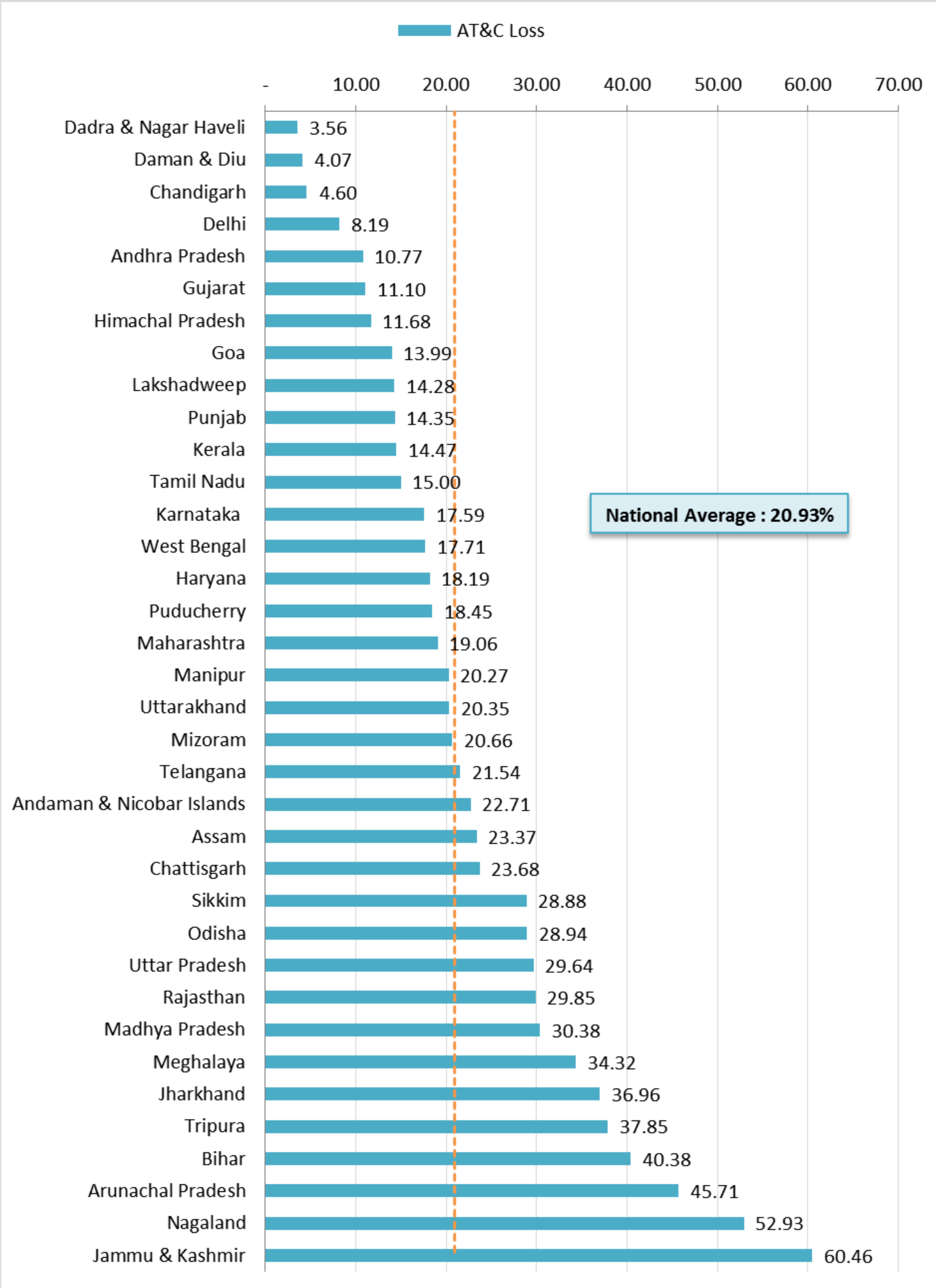

चित्र 20: 2018-19 की तुलना में 2019-20 में एटी एवं सी हानियों में सुधार वाले राज्य

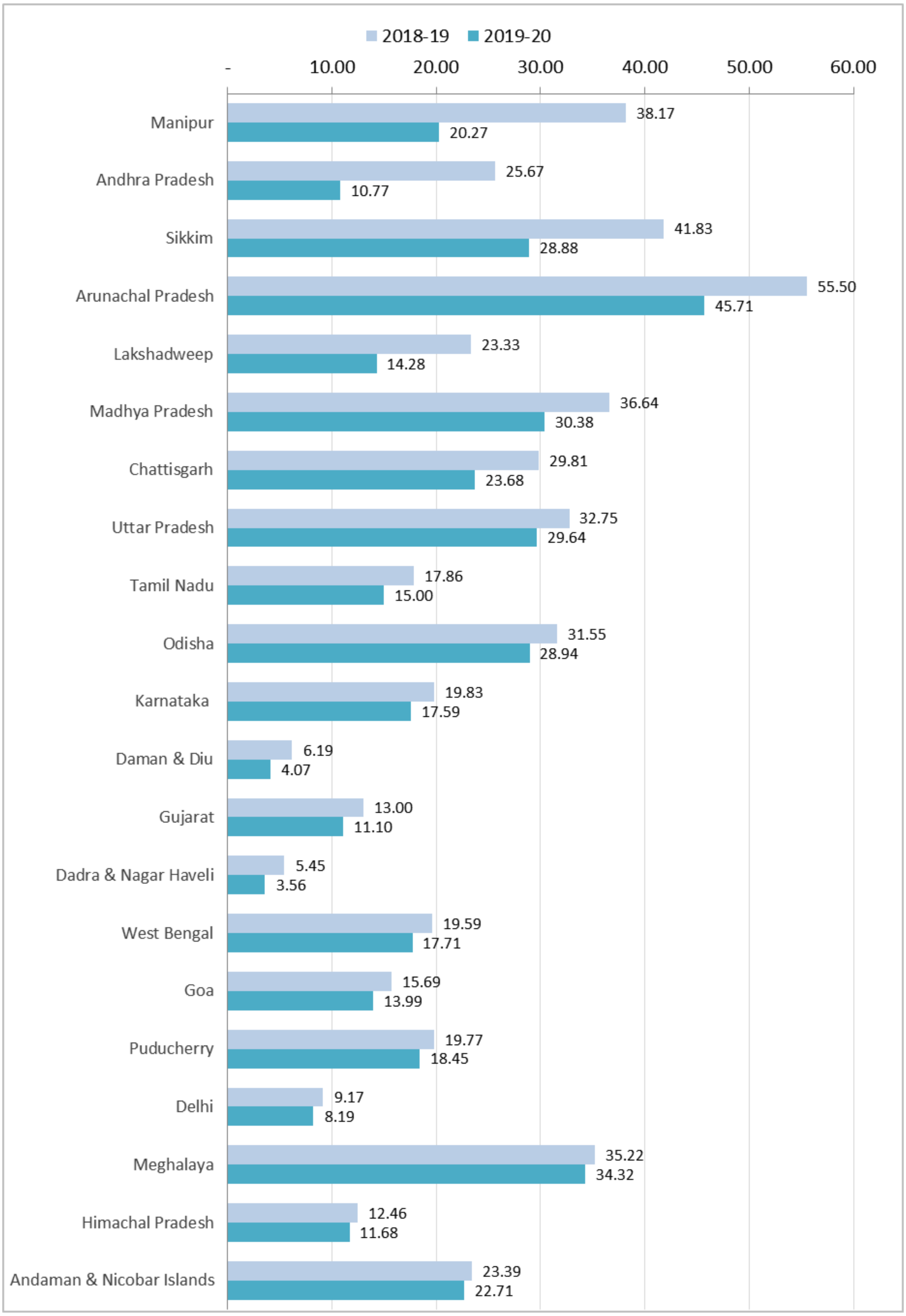

चित्र 21: 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में एटी एवं सी हानियों में कमी वाले राज्य

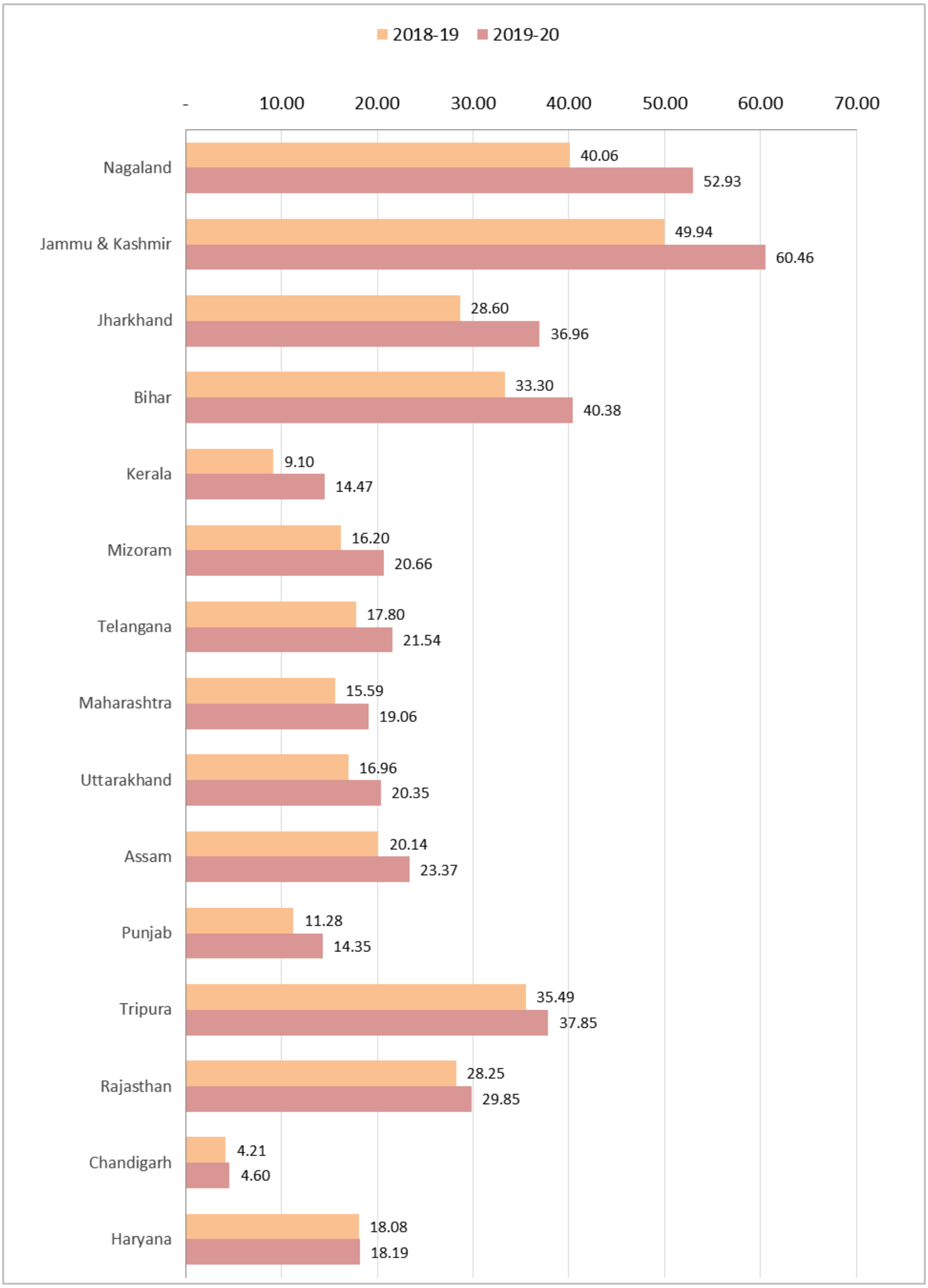

10. बिक्री और राजस्व का उपभोक्ता श्रेणी-वार ब्योरा

ध्यान दिया जाए कि कई विद्युत संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं की कई श्रेणियों के लिए 100% मीटरिंग पूर्ण की जानी शेष है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश विद्युत संस्थाओं के लिए जानकारी वार्षिक लेखों में उपलब्ध नहीं है और विद्युत संस्थाओं/ट्रू-अप याचिका से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार, इस जानकारी का उपयोग करते समय उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए बुक किए गए टैरिफ सब्सिडी सहित बिल किए गए राजस्व की तुलना में उपभोक्ता श्रेणी-वार बिक्री (एमयू) नीचे दर्शाई गई है:

चित्र 22: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बुक की गई सब्सिडी सहित विद्युत की बिक्री से राजस्व की तुलना में उपभोक्ता श्रेणी-वार बिक्री (एमयू)

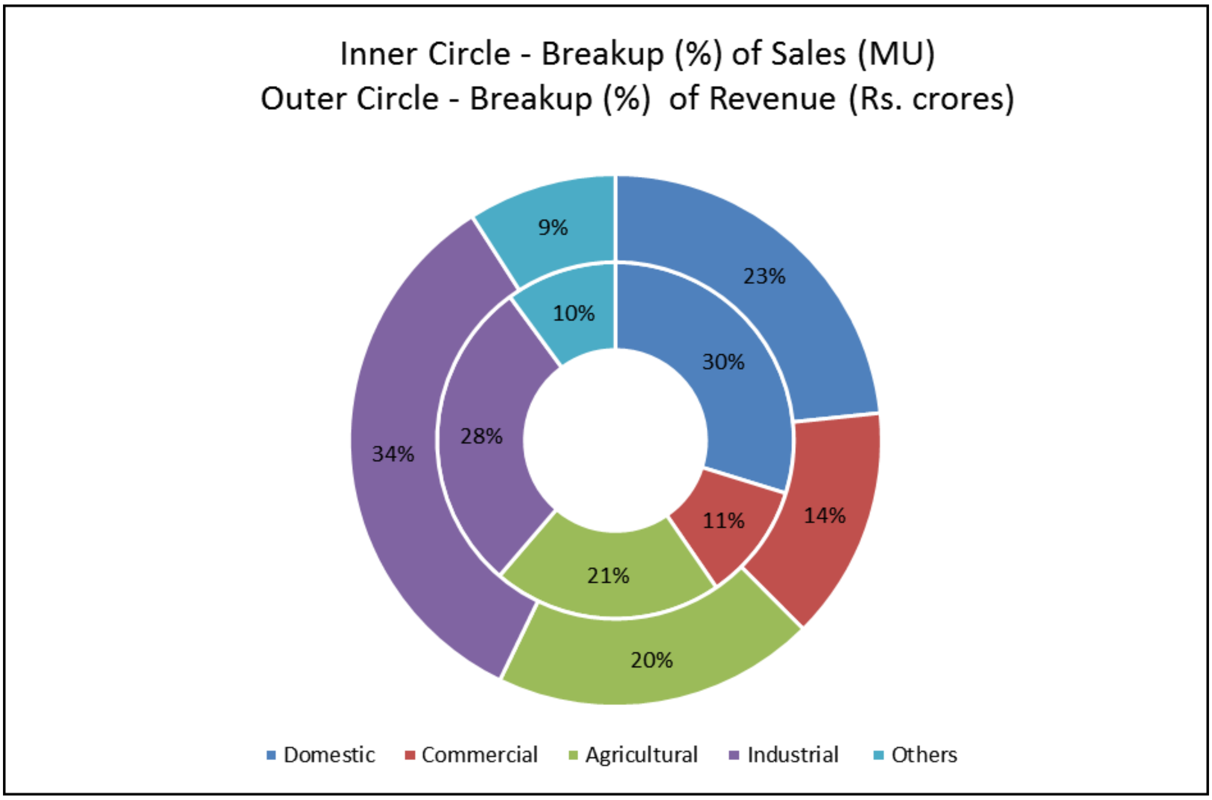

टिप्पणी: बुक की गई उपभोक्ता श्रेणी-वार सब्सिडी का विवरण उपलब्ध नहीं है। विश्लेषण के उद्देश्य से, यह माना गया है कि बुक की गई सब्सिडी का 10% घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है और शेष 90% सब्सिडी कृषि उपभोक्ताओं के लिए है।

जेनको/ट्रांसको/ट्रेडिंग विद्युत संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

इस अध्याय में उत्पादन, पारेषण और ट्रेडिंग विद्युत संथाओं के कार्य-निष्पादन का अलग से विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत संस्थाओं की संख्या इस प्रकार हैं: उत्पादन: 23, पारेषण: 22 और ट्रेडिंग: 4 ।

क. विद्युत उत्पादन संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

1. लाभप्रदता

वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत उत्पादन संस्थाओं को मिलाकर 3,853 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। विद्युत उत्पादन संस्थाओं में पीपीसीएल एवं जेकेएसपीडीसी सर्वोच्च लाभ अर्जक रहीं। तथापि, वर्ष 2019-20 में ओपीजीसीएल एवं एमएसपीजीसीएल ने क्रमशः 142 करोड़ रुपए एवं 126 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की।

2. इक्विटी और निवल आय (नेट वर्थ)

विद्युत उत्पादन संस्थाओं के लिए निवल आय (नेट वर्थ) में 5,975 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो 31 मार्च, 2019 तक 1,04,301 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 31 मार्च, 2020 तक 1,10,276 करोड़ रुपए थी। इक्विटी में भी 7,530 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो 31 मार्च, 2019 के 89,939 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 31 मार्च, 2020 तक 97,469 करोड़ रुपए थी।

3. कुल ऋण राशियां

2019-20 में कुल ऋण राशियों में 9,133 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो 31 मार्च, 2019 के 2,18,966 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 31 मार्च, 2020 तक 2,28,099 करोड़ रुपए थी।

4. व्यापार (ट्रेड) प्राप्तियां

विद्युत उत्पादन संस्थाओं के लिए व्यापार प्राप्तियों में 31 मार्च, 2019 के 87,874 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 31 मार्च, 2020 को 98,847 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2019 तक प्राप्तियों (विद्युत की बिक्री के दिनों की संख्या) में 265 दिनों से 31 मार्च, 2020 तक 291 दिन की वृद्धि हुई।

5. कुल संस्थापित क्षमता एवं कुल उत्पादन

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक राज्य क्षेत्र (जेनको, एकीकृत विद्युत संस्थाएं एवं जेडको) में कुल संस्थापित क्षमता 91,738 मेगावाट है और वर्ष 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन 3,61,573 एमयू है।

ख. पारेषण विद्युत संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

1. लाभप्रदता

वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत पारेषण संस्थाओं को मिलाकर 2,134 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के दौरान विद्युत पारेषण संस्थाओं में से केपीटीसीएल, टीएस ट्रांसको, डबल्यूबीएसईटीसीएल, जीईटीसीओ और बीएसपीटीसीएल सर्वोच्च लाभ अर्जक रहीं।

2. इक्विटी और निवल आय (नेट वर्थ)

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत पारेषण संस्थाओं के लिए निवल आय (नेट वर्थ) 82,026 करोड़ रुपए और इक्विटी 59,789 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निवल आय (नेट वर्थ) 87,828 करोड़ रुपए और इक्विटी 63,005 करोड़ रुपए रही।

3. कुल ऋण राशियां

विद्युत पारेषण संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल ऋण राशियों में 9,955 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो 31 मार्च, 2019 के 1,08,231 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 31 मार्च 2020 तक 1,18,186 करोड़ रुपए थी।

4. व्यापार (ट्रेड) प्राप्तियां

विद्युत पारेषण संस्थाओं के लिए व्यापार प्राप्तियों में 31 मार्च 2019 के 25,658 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 31 मार्च, 2020 तक 32,567 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2019 तक दिनों में प्राप्तियां 267 दिनों से बढ़कर 31 मार्च, 2020 तक 315 दिन हो गई।

ग. विद्युत ट्रेडिंग संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

1. लाभप्रदता

ट्रेडिंग कंपनियों को होने वाली हानि 2018-19 में 8,502 करोड़ रुपए से घटकर 2019-20 में 3,660 करोड़ रुपए हो गई है।

2. इक्विटी और निवल आय (नेट वर्थ)

31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत ट्रेडिंग संस्थाओं के लिए निवल आय (नेट वर्थ) 44,160 करोड़ रुपए और इक्विटी 1,39,061 करोड़ रुपए रही।